कामकाजी महिला

वर्ष 2 अंक 4 अप्रैल, 1990 मूल्य : एक रुपया

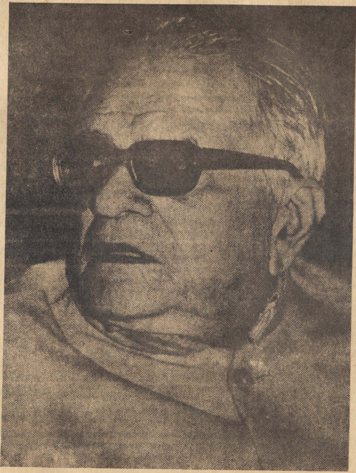

जन्म : 19 दिसम्बर, 1904 मृत्यु : 6 अप्रैल, 1990

कामरेड बी० टी० रणदिवे

सीटू के संस्थापक अध्यक्ष, मा० क० पा० के पोलिट ब्यूरो के वरीयतम सदस्य और अतुलनीय कम्युनिस्ट एवं मजदूर वर्ग के नेता, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रति प्रतिबद्ध योद्धा कामरेड बी०टी० रणदिवे के निधन पर कामकाजी महिला अपने गहरे शोक का इजहार करती है। कामरेड बी० टी० आर० बम्बई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में 6 अप्रैल 1990 को 3.30 बजे प्रातः कैंसर की वजह से चल बसे।

पुणे में 19 दिसम्बर 1904 को जन्मे कामरेड बी० टी० आर० ने अपनी छात्र जिंदगी में क्रांतिकारी उत्साह से साम्राज्यवादी-विरोधी संघर्ष में शिरकत की। अर्थशास्त्र में विशिष्ट दर्जे से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने के बाद, कामरेड बी० टी० आर० 1928 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने, जब पार्टी अपनी बाल्यावस्था में थी, और उन्होंने खुद को महाराष्ट्र के कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा ट्रेड यूनियन में मजदूर वर्ग की लामबन्दी में झोंक दिया। अपने अथक श्रम से उन्होंने जुझारू ट्रेड यूनियनों में बम्बई के मजदूरों को संगठित किया। अपनी सरल अभिव्यक्ति तथा मजदूर वर्ग के अधिकारों के समर्थन में अकाट्य तर्कों की वजह से, उन्होंने मजदूरों में हड़ताल के अधिकार की अवधारणा का मंत्र फूंका तथा 1928-29 की ऐतिहासिक सूती उद्योग हड़ताल के निर्विवाद अगुआ बने। दिसम्बर 1929 में उन्हें कैद किया गया। जेल से आकर, फरवरी-मार्च, 1930 में उन्होंने रेल मजदूरों को संगठित कर, उनकी हड़ताल को नेतृत्व दिया। उन्होंने खासतौर पर ट्रेड यूनियनों में युवा मजदूरों की गोलबन्दी के लिए खुद को समर्पित किया और 1930 के जून में यंग वर्कर्स लीग (युवा मजदूर संघ) बनाया। 1931 में कलकत्ता के एटक सत्र में, बम्बई गिरनी कामगार यूनियन तथा सम्मेलन के कम्युनिस्ट समूह के प्रतिनिधि के रूप में गए। कामरेड बी०टी०आर० ने तब की एटक के माध्यम से वाम ट्रेड यूनियन आन्दोलन का प्रभाव बढ़ाने में अग्रणी भूमिका अदा की। उनकी पहल पर 1933 में लाल यूनियनों का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन ने मेरठ कम्युनिस्ट षड्यन्त्र केस के तहत बन्दी वीरों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। 1935 में लाल टी०यू०सी० एटक से मिल गया। कामरेड बी० टी० आर० ने ट्रेड यूनियन एकता कायम करने का राजनीतिक भार लिया, ताकि सम्पूर्ण मजदूर वर्ग संघर्ष के बिन्दु पर आकर समाजवादी राज्य के निर्माण हेतु संघर्ष कर सकें। इस उद्देश्य से उन्होंने ट्रेड यूनियनों में एक पढ़ाई-मंडली बनाई और मजदूर वर्ग संघर्ष एवं महाराष्ट्र की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण में आगे आए। उन्होंने "क्रान्ति" और "मुंबई कामगार" जैसी कम्युनिस्ट पत्रिकाओं के प्रकाशन में भी मीर की भूमिका अदा की।

जब 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय केन्द्र का गठन हुआ, वह पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य बनाए गए। लम्बे अरसे तक लगभग भूमिगत काम करते हुए, 1937 में कम्युनिस्ट पार्टी आगे आई और अपना मासिक मुखपत्र "नेशनल फ्रंट" प्रकाशित करना शुरू किया, जिसके संपादक पी० सी० जोशी और संपादक मंडल के सदस्य का० बी० टी० आर० थे। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, बम्बई में 4 मार्च को एक और ऐतिहासिक हड़ताल हुई। 1 लाख 60 हजार से अधिक मजदूरों ने युद्ध भत्ते क रूप में 15 प्रतिशत वृद्धि की मांग करते हुए हड़ताल में शिरकत की। का० बी०टी०आर० इस हड़ताल के मुख्य आयोजक थे। उन्हें ब्रिटिश शासन ने पुनः डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तार कर लिया और दो वर्षों के लिए देवली जेल में रखा। जेल से ही उन्होंने सोवियत यूनियन के नेतृत्व में जारी फासीवाद-विरोधी जंग को समर्थन देने का मजदूरों से आह्वान करते हुए एक दस्तावेज लिखा।

बम्बई में 1943 में हुए कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में का० बी०टी०आर० ने पी०सी जोशी द्वारा रखी गई रिपोर्ट के अलावा, केन्द्रीय कमेटी की ओर से मजदूर वर्ग आंदोलन पर अलहदा रिपोर्ट पेश की। इस कांग्रेस में उन्हें पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में चुन लिया गया। पहले कांग्रेस से ही का० बी०टी०आर ने मजदूर वर्ग एवं कम्युनिस्ट

आंदोलन का देशव्यापी उत्साहवर्द्धन प्रारम्भ कर दिया।

नौसेना की ऐतिहासिक हड़ताल 18 दिसम्बर, 1946 को बम्बई में शुरू हुई। पार्टी के कई कामरेड और कार्यकर्ता गोलियों के शिकार हुए। का० बी०टी०आर० के नेतृत्व में बम्बई का मजदूर वर्ग नौसेना के हड़ताल के समर्थन में जबर्दस्त हड़ताल पर चला गया। कामकाजी महिलाओं की नेता कमल ढोंडे की मौत पर श्रद्धांजलि लिखते हुए का० बी०टी०आर० ने क्रूर दमन की परवाह किए बिना मजदूर वर्ग से ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अपनी स्वतंत्रता छीनने का संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

1948 में सी०पी०आई० की दूसरी कांग्रेस में का० बी०टी०आर० को पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का महासचिव चुना गया और उन्होंने 1950 तक इसी पद पर कार्य किया। यह वही दौर था, जब पार्टी तेलंगाना के किसान-संघर्ष जैसे विशाल सामंतविरोधी लड़ाइयों का नेतृत्व कर रही थी और कांग्रेस के भीषण दमन का सामना कर रही थी। 1956 में पालघाट में हुई चतुर्थ कांग्रेस से कामरेड बी०टी०आर० ने संशोधनवाद के विरुद्ध दृढ़ संघर्ष छेड़ा। मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए तथा इसे देश में व्याप्त स्थिति पर उसे प्रयोग करते हुए, उन्होंने राष्ट्रीय जनवादी मोर्चे के खिलाफ जनता के जनवादी मोर्चे पर एक दस्तावेज तैयार किया। 1961 की छठी, विजयवाड़ा कांग्रेस में उन्होंने राष्ट्रीय परिषद के 21 सदस्यों की ओर से एक अलग दस्तावेज पेश किया। 1964 में सातवीं कांग्रेस के द्वारा सी. पी. आई. (एम) के गठन में उन्होंने अग्रणी भूमिका अदा की, यद्यपि वह इसमें उपस्थित नहीं हो सके, चूंकि उन्हें भारत चीन सीमा विवाद के दौरान 1962 में कैद कर लिया गया था। इस कांग्रेस ने उन्हें केन्द्रीय कमेटी और माकपा के पोलिट ब्यूरो के लिए भी चुना।

अपने अनुभवों के बाहुल्य तथा मजदूर वर्ग आंदोलन को संगठित करने के संकल्प की वजह से, का० बी०टी० आर० ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को सुधारवाद एवं अर्थवाद में घुलने से, वाम कट्टरता एवं दक्षिण संशोधनवाद में बहकने से बचाया तथा मजदूरों में समाजवादी चेतना का संचार किया।

इस उद्देश्य से उन्होंने 1970 में सीटू के गठन में अगुआ भूमिका ली तथा वे इसके अध्यक्ष पद के लिए स्वाभाविक विकल्प थे। अपने गठन के तुरन्त बाद सीटू ने ट्रेड यूनियन एकता तथा मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्ष का आह्वान किया। का० बी०टी०आर० के प्रत्यक्ष निर्देशन में सीटू देश का सर्वाधिक जुझारू ट्रेड यूनियन संगठन बना। पर मात्र जुझारूपन ही नहीं, राजनीतिक विचार-धारा उनकी सीख के मुताबिक दूसरा हथियार था। इसलिए उन्होंने ट्रेड यूनियनों के कार्यों का आलोचनात्मक अध्ययन किया और बार-बार ट्रेड यूनियनों के जनवादी ढंग से काम करने, सूचनाओं को बांटने एवं सामूहिक नेतृत्व की भावना विकसित करने तथा ट्रेड यूनियन आन्दोलन को अर्थवाद से ऊपर उठाने पर जोर दिया।

एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की सरकार की आर्थिक नीति में हस्तक्षेप करने, साम्राज्यवाद समर्थित विघटनवादी ताकतों से लड़ने, बेकारी की समस्या पर, कामकाजी महिलाओं के हितों को उठाने, असंगठित मजदूरों, अल्पसंख्यकों आदि के उद्देश्यों को ट्रेड यूनियन में समाहित करने, तथा सर्वोपरि एक साम्राज्यवाद-विरोधी दृष्टिकोण विकसित करने एवं युद्ध के खतरे के खिलाफ शांति के लिए और विश्व-प्रभुत्व के अमरीकी षडयंत्र एवं राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के दमन आदि के प्रति वे ट्रेड यूनियन आन्दोलन की कमियों के प्रति निरन्तर अगाह करते रहते थे। मजदूरों में समाजवादी चेतना फैलाने के लिए उन्होंने सीटू से इन तमाम मुद्दों पर अपनी स्वतन्त्र गतिविधियां शुरू करने तथा आम आदमी के हितों के लिए ट्रेड यूनियनों का एकजुट आन्दोलन प्रेरित करने का आह्वान किया। ट्रेड यूनियन एकता एवं केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा फेडरेशनों को लेकर कन्फेडरेशन का गठन कर सहमति के बिन्दुओं पर देशव्यापी जेहाद छेड़ने का उनका विचार मजदूरों एवं ट्रेड यूनियनों के तमाम हलकों के लिए अनुकरणीय है।

का० बी० टी० आर० सभी तरह की विघटनकारी ताकतों के उदय एवं देश को तोड़ने में जुटीं इन शक्तियों के पीछे साम्राज्यवादी षडयन्त्रों को देख पाने की ट्रेड यूनियनों की असमर्थता के प्रति बेहद चिंतित थे। उन्होंने सभी ट्रेड यूनियनों से आह्वान किया कि वे इन ताकतों

को अलग-थलग करें, साम्राज्यवाद के खेल को पस्त करें और देश की एकता व अखंडता की हिफाजत करें। अपनी गहरी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने वाम, जनवादी धर्मनिरपेक्ष एवं देशभक्त ताकतों की एकता का आह्वान किया, ताकि निरंकुश कांग्रेस प्रशासन के विकल्प में समाजवाद की ओर बढ़ता हुआ एक जनगण-तांत्रिक मोर्चा कायम हो। राजीव सरकार को हटाने के लिए आयोजित दोनों भारत बन्द में ट्रेड यूनियन आंदोलन की जबर्दस्त शिरकत का० बी०टी० आर०की दूरदर्शिता, उनके आह्वान का प्रत्यक्ष परिणाम था।

का० बी०टी०आर० के निरंतर एवं अथक दिग्दर्शन के तहत ही सीटू ट्रेड यूनियन आंदोलन की ऊंचाइयों को छू पाया, शासक वर्गों को चुनौती दे सका तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर सका। वे एक तरफ नवजात ट्रेड यूनियन आंदोलन एवं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष तथा दूसरी तरफ, वर्तमान के पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर समाजवादी राज्यों की स्थापना करने के वर्ग संघर्ष के बीच की ऐतिहासिक कड़ी हैं। वे एक महान विचारक, बुद्धिजीवी, लेखक, वक्ता, व्यवहारिक लड़ाकू और मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों के प्रति समर्पित अद्वितीय नेता थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को ही समर्पित कम्युनिस्ट बनाया। उद्योगों का उनका गहरा ज्ञान अद्भुत था। उतनी ही अद्भुत थी उनकी याददाश्त, शारीरिक क्षमता और घटना क्रम के तीव्र परिवर्तन पर कुशाग्र निर्णय लेने की काबिलियत—जो उनके जीवन के अंतिम दिनों तक अक्षुन्न रही। सच में, वे कर्त्तव्यबद्ध ही गुजरे। एक वास्तविक कम्युनिस्ट की तरह वे कठिन अनुशासन का पालन करते थे पर, साथ ही, आम मजदूरों की समस्याएं सुनने के लिए आराम से पहुंच के लायक थे। वे 'द मार्क्सिस्ट' के संपादक थे उन्होंने सीटू सत्र 'द वर्किंग क्लास' का सूक्ष्म दिग्दर्शन किया और समकालीन चुनौतियों पर नियमित तौर पर अपनी धारदार कलम चलाते रहे। उन्होंने मजदूर वर्ग आंदोलन पर बड़ी तादाद में रचनाएं, लेख, पुस्तिकाएं, पैम्फलेट लिखे—जो आर्थिक-राजनीतिक दृष्टि से परम मूल्यवान हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट; भारत का स्टर्लिंग संतुलन; जाति वर्ग एवं संपत्ति सम्बन्ध; मजदूर वर्ग एवं राष्ट्रीय रक्षा; यूरो कम्युनिज्म; विसंगतियों पर तथा अंतिम, काम के अधिकार के मौलिक समस्याओं पर—उनकी केवल कुछ रचनाएं हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के इस मोड़ पर जब समाजवाद पर प्रतिक्रांतिकारियों का चौतरफा आक्रमण हो रहा है, साम्राज्यवाद की मदद से सुधारवाद जड़ें जमा रहा है का० बी०टी०आर० जैसे महान शिक्षक और नेता का बिछुड़ना मजदूर वर्ग के लिए एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि का० बी० टी० आर० मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधारभूत मूल्यों—सर्वहारा का अधिनायकत्व, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद तथा कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका—के कट्टर अनुपालक एवं पुरोधा थे।

नई राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में भी वही स्थिति है—जब देश में सांप्रदायिक एवं अलगाववादी ताकतें बेहिसाब मजबूत हो गई हैं और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अपना अस्तित्व 'झूलते संसद' पर टिकाए रखना है, जिसका एक पाया वामपंथ है तो दूसरा निरा दक्षिणपंथ।

उनकी मौत ने सीटू को अनाथ कर छोड़ा है। लेकिन का० बी०टी०आर० ने अपने छः दशकों के शिक्षण और मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति अदम्य प्रतिबद्धता मजदूर वर्ग के लिए मिशाल के तौर पर भी दी है। भारत के मजदूर वर्ग एवं कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में उनका नाम एक महान मिथक की तरह दर्ज होगा। कामकाजी महिला यह प्रतिज्ञा करती है कि वह उनकी क्रांतिकारी लाइन को, तमाम बाधाओं के बावजूद, अडिग, अटल, तौर पर आगे बढ़ाएगी—तब तक, जब तक समाजवादी राज्य की स्थापना का उनका सपना साकार न हो जाए। का० बी०टी०आर० को सादर श्रद्धांजलि देते हुए कामकाजी महिला की ओर से उनकी पत्नी का० विमल रणदिवे, पुत्र उदय, बहन का० अहल्या रांगणेकर तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपना विह्वल शोक-संदेश देती है।

काम का अधिकार और बेरोजगारी समस्या

बी. टी. रणदिवे

दुर्गापुर में काम के अधिकार पर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मजदूरों की राष्ट्रीय फेडरेशनें तथा कन्फेडरेशनें बधाई की पात्र हैं और स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इण्डिया के प्रयास भी सराहनीय हैं, जिसने इस मामले में पहल की है।

हालांकि काम का अधिकार पिछले चार दशकों से, संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, फिर भी बेरोजगारी की समस्या बिगड़ती गयी है और आज भयानक आकार ले चुकी है। इन चार दशकों में न तो कांग्रेस सरकार ने और न ही अल्पजीवी जनता सरकार ने, रोजगार-उन्मुख योजनाओं के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बोलने के अलावा, बेरोजगारी की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ किया। पूंजीवादी रास्ते के नियम को रोका नहीं जा सका और जिंदगी के हरेक क्षेत्र में बेरोजगारी फैलती चली गयी।

हमारे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने भी मात्र छंटनीग्रस्त मजदूरों तक सीमित औद्योगिक बेरोजगारी का मामला मानकर, इस समस्या को नजरअन्दाज किया है। इस उपेक्षा के कारण रोजगार और काम के अधिकार का संघर्ष कमजोर हुआ है। इस पृष्ठभूमि में इस सम्मेलन के आयोजन की स्टील वर्कर्स फेडरेशन की पहल सराहनीय है।

रोजगार की सुरक्षा ही नहीं

काम का अधिकार, सिर्फ रोजगार की सुरक्षा नहीं है, बल्कि तमाम जनवादी अधिकारों में एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार की अनुपस्थिति में मताधिकार, अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता, और जनता की आकांक्षा के अनुरूप सरकार चुनने के अधिकार, अपने आप में मूल्यवान होते हुए भी महज औपचारिक हो जाते हैं। ये अधिकार खुद, मजदूरों की निर्भरता को समाप्त नहीं करते हैं और न ही फैक्टरी, खदान, रेलवे तथा जमीन आदि उत्पादन के साधनों के मालिकों की मनमानी से, आम आदमी की जीविका को मुक्त करते हैं। जब राज्य, काम के अधिकार को मान्यता दे दे, तब मेहनतकश अवाम वस्तुतः मुक्त हो जाता है, उसकी दोयम दर्जे की सामाजिक स्थिति खत्म हो जाती है, बेरोजगारी का आतंक जाता रहता है और कोई मालिक उसकी जीविका और रोजगार से खेल नहीं सकता है।

सवाल यह है कि इस अधिकार को कैसे सुनिश्चित किया जाय? जवाब है, फैक्टरियों आदि उत्पादन के साधनों के संबंध में मजदूर वर्ग तथा दूसरे मेहनतकश तबकों को समानता देकर। उत्पादन के तमाम साधनों को निजी मालिकों के नियंत्रण और मिल्कियत से मुक्त करके, उन्हें मुट्ठी भर सरमायेदारों और पूंजीपतियों के नियंत्रण से हटाकर, सामाजिक आधिपत्य के तहत लाकर ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है। इसको कारगर बनाने के लिए, जनता का राजनीतिक सत्ता पर अधिकार अनिवार्य है, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मेहनतकश अवाम की सरकार होनी जरूरी है।

पूंजीवाद और काम का अधिकार साथ-साथ नहीं

इसलिए, यह महज संयोग ही नहीं है कि सिर्फ समाजवादी देशों के संविधान ही काम के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देते हैं। अमरीका जैसे सबसे धनी पूंजीवादी राष्ट्रों के संविधान भी मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश अवाम को यह अधिकार नहीं देते हैं। इन देशों में उत्पादन के साधनों की मिल्कियत निजी सरमायेदारों के हाथों में है और मजदूर वर्ग के पास उनके कारखानों में काम खोजने के अलावा कोई चारा नहीं है। सरमायेदार ही मालिक हैं और वे ही मुनाफे की अपनी जरूरतों के अनुसार मजदूरों को काम पर लगाते या हटाते हैं। मजदूरों की जीविका और रोजगार, मुनाफे की उनकी हवस के शिकार बनकर रह जाते हैं। पूंजीवाद और काम का अधिकार साथ-साथ नहीं चल सकते।

लेकिन, समाजवादी देशों में निजी सरमायेदार और मालिक नहीं होते हैं। कारखानों, खदानों, रेलवे तथा भूमि पर निजी मालिकों का एकाधिकार नहीं होता है। उन पर पूरे समाज का अधिकार होता है और वे सर्वजन

सुखाय होते है। समाजवादी समाज इस तरह से आर्थिक योजना बनाता है कि तमाम लोगों को काम मिले। यह पूंजीवादी तंत्र पर समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता का प्रमाण है। इसे याद रखना जरूरी है। क्योंकि आज हमारे देश में तथा दूसरी जगहों पर भी जबर्दस्त प्रचार अभियान चलाया जा रहा है कि समाजवाद असफल हो गया है और पूंजीवाद ने समाजवाद पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है।

इन तमाम सालों में जहां समाजवादी देशों में कोई बेरोजगारी नहीं रही, आर्थिक संकट नहीं आये, वहीं पूंजीवादी राष्ट्रों का क्या रिकार्ड रहा है? आज इन देशों में तीन करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की दर हरेक तकनीकि विकास के साथ बढ़ रही है। सिर्फ अमरीका में ही 1985 में 83 लाख लोग बेरोजगार थे, जापान में 15 लाख, फ्रांस में 23 लाख, जर्मनी (संघीय जर्मन गणराज्य) में 23 लाख, इटली में 24 लाख और इंग्लैंड में 32 लाख बेरोजगार थे। 1979 और 1985 के बीच इंग्लैंड में बेरोजगारी दोगुनी हुई है, जर्मनी में तीन गुनाऔर अमरीका में 25 फीसद बढ़ी है।

पूंजीवाद में बेरोजगारी बढ़ती ही है

ऐसा क्यों होता है? पूंजीवादी समाज का नियम है कि बेरोजगारी बढ़ेगी ही और पूंजीपतियों के पास औद्योगिक सुरक्षित सेना हो, यह जरूरी है, ताकि जब श्रम की ज्यादा जरूरत पड़े, तब भी मजदूरी को कम रखा जा सके। पूंजीवादी समाज के इस नियम का क्या अर्थ है? निजी सरमायेदार के उत्पादन का उद्देश्य सामाजिक लाभ नहीं बल्कि, आमदनी बढ़ाना होता है। नयी मशीनें लगाकर, उत्पादन की कीमत को घटाकर बाजार पर कब्जा करने के लिए वे एक-दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। उत्पादन की कीमत घटाने का मतलब होता है प्रभावी मशीनें लगाकर मजदूरों की संख्या घटाना, इस प्रतिस्पर्द्धा में सभी सरमायेदार श्रम की बचत कर, कम मजदूर लगाकर, अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त हासिल करते हैं। इस प्रक्रिया का नतीजा बढ़ती बेरोजगारी के रूप में सामने आता है। मजदूरों को घटाने की इस प्रतिस्पर्द्धा के बिना पूंजीवादी समाज जिंदा नहीं रह सकता है।

भारत एक पूर्ण विकसित पूंजीवादी देश नहीं है। भारत ने अपेक्षाकृत हाल में ही पूंजीवादी रास्ते को अपनाया है। पर, यहां भी, जहां तक आधुनिक उद्योगों का सवाल है, पूंजीवादी संचय के साथ, पूंजीवादी उद्योग के विकास के साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ने का नियम लागू रहा है। यह प्रक्रिया हम अभी से ही नगरों तथा औद्योगिक शहरों में देख सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कभी-कभी तो 8 से 9 फीसद तक औद्योगिक विकास दर के बावजूद बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गयी है। हर योजना के साथ बेरोजगार बढ़ते ही चले गये हैं।

रोजगार कार्यालयों में दर्ज शहरी बेरोजगारी

प्रथम	पंचवर्षीय	योजना के	अन्त में	53 लाख
द्वितीय	"	"	"	71 "
तृतीय	"	"	"	96 "
चतुर्थ	"	"	"	1 करोड़ 71 लाख
पांचवीं	"	"	"	2 करोड़ 21 लाख
छठी	"	"	"	2 करोड़ 49 लाख
30 जून 1989 को				3 करोड़ 10 लाख

स्रोत : 1. लोकसभा का जवाब...4 सितम्बर, 1981

2. इंडियन लेबर जर्नल, अक्टूबर 89

3. श्रम मंत्रालय, डी. जी. ई. टी., एस—1302517/1988-89.

बड़े और छोटे उद्योगों के बीच की प्रतिस्पर्द्धा, छोटे उद्योगों के लिए जानलेवा होती है और उनमें लगे हजारों मजदूर बेकार हो जाते हैं, जिनमें से एक अंश ही बड़े या नये उद्योगों में खप पाता है। बड़े उद्योगों के बीच, ज्यादा मुनाफा कमाने की प्रतिस्पर्द्धा के फलस्वरूप नयी तकनीक और मशीनें लगायी जाती हैं, जो पूंजी तो काफी मांगती हैं पर मजदूर कम से कम। इन्हें पूंजी सघन उद्योग कहा जाता है, जिन्हें चलाने के लिए थोड़े से ही मजदूरों की जरूरत होती है।

पूंजीवादी उत्पादन की अराजकता

इसके अलावा, पूंजीवादी उत्पादन की अपनी अराजकता होती है। मुनाफे के लिए कई सरमायेदार नये-नये उद्योग खोलते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें पता चलता है कि वे बाजार की मांग से ज्यादा उत्पादन कर रहे है। वे लाभकारी दरों पर अपने उत्पाद बेचने में असफल हो जाते हैं। मिल बंद कर देते हैं, तालाबंदी की घोषणा कर

हजारों मजदूरों को सड़कों पर फेंक देते हैं। इसके अलावा देश की पूंजीवादी-भूस्वामी सरकार की आर्थिक नीतियां लोगों की क्रय शक्ति घटा देती हैं, जिससे जीवन की जरूरत की चीजें खरीदने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और फलतः मिल बंदियों के चलते, और मजदूर बेकार हो जाते हैं। भारत का सूती कपड़ा उद्योग, जनता की गरीबी और उसकी क्रय शक्ति की गिरावट से फैलती मिलबंदियों का ज्वलंत उदाहरण है। पिछले कुछ अर्से में होती रही मूल्य वृद्धि से कामकाजी लोगों की वास्तविक मजदूरी में ह्रास हुआ है, जिससे वे बाजार से अपनी जरूरत की चीजें खरीदने में असमर्थ होते गए हैं। परिणाम यह है कि जहां ग्रामीण भारत का एक तिहाई हिस्सा वस्त्रहीन है, सूती मिलें मांग की कमी की वजह से बंद या बीमार हो गयी हैं और हजारों और मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। पिछले कुछ सालों में करीब 2 लाख बड़े-छोटे उद्योग बंद हुए हैं, जिससे लाखों मजदूर बेकार हो गये हैं। सरकार के अनुसार, इनमें से सिर्फ 20 फीसद पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। बेरोजगारों का कुछ भी हो उनकी बला से ! ये प्रतिष्ठान, नये तथा बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा की वजह से या अवाम के एक बड़े तबके की क्रय शक्ति में गिरावट के कारण बंद हुए हैं, जबकि एक पिछड़े देश में पूंजीवादी विकास के साथ ये बीमारियां अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं।

पूंजीवादी संचय और बेकारी का उपहार

आम तौर पर देश में बेरोजगारी की स्थिति पर विचार करते हुए ट्रेड यूनियनें सिर्फ उपर्युक्त कारणों से उत्पन्न बेरोजगारी पर ही ध्यान देती हैं। वे, उन मजदूरों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करती हैं, जो पहले कभी काम पर थे, पर काम खो चुके हैं। लेकिन, यही बेरोजगारी के अकेले स्रोत नहीं हैं। औद्योगिक क्षेत्र के कारणों के अलावा दो और बड़े कारक कहीं ज्यादा बेरोजगारी पैदा करते हैं। विकसित पूंजीवादी देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत पहले ही पूंजी के नियंत्रण में ले आये थे। लेकिन, भारत जैसे पिछड़े देश में अर्थव्यवस्था पर पूंजी के पूर्ण प्रभुत्व की प्रक्रिया आज भी जारी है। पूंजीवाद के आरंभ में आज के विकसित देशों को एक लम्बे समय तक इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। भारत में लाखों लोग पूर्व-पूंजीवादी उद्योगों, हथकरघा और छोटे उद्योगों में लगे हैं। हैंडलूम, नारियल जटा, काजू और तरह-तरह के कुटीर उद्योग अब नष्ट हो रहे हैं और लाखों मजदूर बेकार हो रहे हैं। यह प्रक्रिया अंग्रेजों के आगमन काल से ही शुरू होकर आज भी चल रही है और पारम्परिक उद्योगों में लगे लोगों पर लगातार मुफलिसी की जिंदगी थोप रही है। कृषि क्षेत्र में भी यही प्रक्रिया चल रही है और छोटा किसान अपनी जमीन और उत्पादन के साधनों से जबरन वंचित किया जा रहा है। पूंजीवादी विकास का यह तकाजा होता है कि आम लोग उत्पादन के साधनों से वंचित हों, ताकि पूंजीवादी विकास के लिए सस्ते श्रम और इसके उत्पादों के लिए बढ़ता बाजार मिल सके। भारत में कई भूमि सुधार प्रयासों तथा एक हद तक भूमि वितरण के बावजूद बड़े पैमाने पर किसानों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी हैं—उन्हें खेतमजदूर, औद्योगिक मजदूर या बंधुआ मजदूर बनना पड़ा है। भारत में भूमि का अति केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर किसानों को जमीन आदि से बेदखल किये बगैर नहीं हो गया है। मार्क्स ने उत्पादकों के, उत्पादन-साधनों से अलग होने की इस प्रक्रिया को, प्राथमिक संचय की प्रक्रिया कहा था।

पूंजीवादी विकास की जरूरतों ने, शहरों तथा विस्थापित लोगों के लिए अधिक खाद्य-उत्पादन की जरूरत ने, सिंचाई तथा नयी भूमि को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से विशाल बांधों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया है। लेकिन, इससे आदिवासियों तथा लाखों दूसरे लोगों को अपनी जमीन से वंचित होना पड़ा है और उनकी जमीनें पानी में डूबी पड़ी हैं। ये लोग बिना किसी मुआवजे तथा पुनर्वास के बस बेघर कर दिए गए हैं, जिनकी नियति बेरोजगारी तथा भुखमरी है। मार्क्स ने कितना सच कहा था : "पूंजी सिर से पांव तक खून से तरबतर, रक्त तथा गंदगी से लिथड़कर इस दुनिया में आती है।" (पूंजी, खंड—1, पृ० 712)

पूंजीवादी विकास के लिए जरूरी संचार और यातायात के साधन भी ग्रामीण रोजगार के लिए भयानक तबाही का सामान बनकर आते हैं और कोई विकल्प नहीं देते। मिसाल के तौर पर, लारी व ट्रक यातायात के विकास ने लाखों बैलगाड़ीवानों से उनकी जीविका छीन ली, जो गांवों से नगरों तक माल ढोते थे। इसी तरह सिंचाई के लिए बिजली के पंपों के प्रयोग से लाखों बैल मालिक बेकार हो गए हैं, जो पहले बैलों से रहट के जरिए

कुंए से पानी निकलवाने का काम लेते थे। पूंजीवादी व्यवस्था के इस अपरिहार्य विकासक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की एक विशाल फौज खड़ी कर दी है, जिसकी संख्या शहरी बेरोजगारों से कई गुना ज्यादा है।

बेरोजगारी ऐसे खत्म नहीं होगी

इस तरह से कुल मिलाकर समस्या बहुत ही गहन है, जिसे तब तक सुलझाना संभव नहीं और तब तक काम के अधिकार को सुनिश्चित करना भी संभव नहीं है, जब तक कि बेकारी की इस प्रक्रिया पर अंकुश नहीं लगाया जाता है और भिन्न ढंग की वैकल्पिक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाती है। ऐसी व्यवस्था का आधार उत्पादन साधनों का समाजीकरण और समाजवादी समाज ही हो सकता है। ऐसी व्यवस्था में आधुनिक उद्योग के विकास की गति तीव्र होगी तथा नये उद्योगों द्वारा विस्थापित सभी लोगों को रोजगार में खपाया जा सकेगा। पूंजीवादी हालात में औद्योगिक विकास की गति काफी धीमी होती है और इससे जितने लोग नए रोजगारों में खपते हैं, उनकी संख्या विस्थापित होने वालों से काफी कम होती है।

वर्तमान समाज में बेरोजगारी का एक और स्रोत है, श्रम बाजार के सभी नए प्रवेशार्थियों को रोजगार देने में मौजूदा व्यवस्था की अक्षमता। मजदूर वर्ग मध्यवर्ग या कृषक परिवार से आये युवा, जो उत्पादक-उत्साह से युक्त हैं, जो समाज की अपनी तमाम क्षमता लगाकर सेवा करना चाहते हैं, उनसे कहा जाता है कि समाज को उनकी जरूरत ही नहीं है और उनकी श्रम क्षमता नष्ट हो जाती है। निजी पूंजी की रोजगार देने की क्षमता दिनों-दिन घटती जा रही है। सेवा उद्योगों, बैंकिंग इंश्योरेंस तथा दूसरे सेवा क्षेत्रों में कंप्यूटर लगाने तथा उद्योगों में स्वचालन, को बढ़ावा देने से भविष्य में रोजगार की क्षमता घटती जा रही है। कुछ मामलों में पहले से काम पर लगे लोगों को भी निकाला जा रहा है। ये तमाम कारण स्पष्ट कर देते हैं कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी की समस्या और बिगड़ने वाली है और पहले से काम पर लगे लोगों के रोजगार की असुरक्षा बढ़ती जायगी।

यह समस्या का विकराल दानवी स्वरूप है। यह समस्या तब तक बनी रहेगी, जब तक इनके कारणों पर रोक नहीं लगायी जाती है और बेरोजगारी खत्म करने का, जीविकोपार्जन के लिए सरमायेदारों पर जनता की निर्भरता समाप्त करने का, काम को संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार मानने के सिवा कोई और उपाय नहीं है। जब तक लोग काम का मौलिक अधिकार नहीं पा लेते, दूसरे मौलिक अधिकार रस्मी ही बने रहेंगे।

अत्यावश्यक वर्गीय जिम्मेदारी

इसलिए, बेरोजगार या बारोजगार, सभी मजदूरों, गरीब ग्रामीण जनता के लिए जरूरी है कि वे एकजुट हों, काम के अधिकार के लिए जारी संघर्ष में अपनी लाखों की ताकत को गोलबन्द करें। इस अधिकार की प्राप्ति का मतलब है मुट्ठी भर पूंजीवादियों की दासता से जनता की वास्तविक मुक्ति। और, पहली बार वे तथा उनके परिवार, स्वतंत्र माहौल में रह सकेंगे, जहां उनके काम से कोई उन्हें वंचित नहीं कर सकेगा।

काम के अधिकार का प्रचार करते हुए, समस्त मजदूर वर्ग, बेरोजगारों तथा ग्रामीण अवाम को वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में, संपत्ति संबंधों में परिवर्तन की मांग करनी चाहिए, जिसके बिना काम के अधिकार के लिए जरूरी द्वार नहीं खोले जा सकते हैं। जब तक वर्तमान भूमि एकाधिकार चलता रहेगा और जब तक भूमि संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन लाकर भूमिहीनों को जमीन वितरित नहीं की जाती, काम का अधिकार मिल ही नहीं सकता। इसी तरह, यदि उत्पादन के साधनों को चंद सरमायेदारों के कब्जे में, मजदूरों को काम पर लगाने और हटाने के मनमाने अधिकारों के साथ, छोड़ दिया जाता है, तो काम के अधिकार का क्या मतलब होगा? मजदूरों की शिरकत से प्रबंधित बढ़ता औद्योगिक राष्ट्रीयकरण और निजी मिल्कियत की समाप्ति, काम के अधिकार को लागू करने की आवश्यक शर्तें हैं। काम के अधिकार के प्रचार के साथ-साथ, इनके लिए अभियान छेड़ना निहायत जरूरी है।

इसके साथ-साथ रोजगारों की संख्या बढ़ाने, काम पर लगाने और हटाने के मालिकों के अधिकारों पर अंकुश लगाने और रोजगार के विस्तार तथा बेरोजगारों को राहत की योजना बनाने की फौरी मांगों पर भी लामबंदी जारी रहनी चाहिए।

इन फौरी मांगों तथा काम के अधिकार के लिए अभियान, बारोजगार तथा बेरोजगार मजदूरों, शहरी

तथा ग्रामीण मजदूरों का साझा अभियान होना चाहिए। ट्रेड यूनियनों को, जो मजदूरों, की संगठित ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं, बेरोजगार मजदूरों, ग्रामीण जनता, युवाओं, विद्यार्थियों तथा महिलाओं को गोलबंद करने में अग्रिम भूमिका अदा करनी चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मजदूरों से लेकर मध्यवर्ग तक के तमाम बेरोजगारों को स्थायी तौर पर संगठित करके वृहत्तर आन्दोलन छेड़ा जाय। लेकिन, ट्रेड यूनियनों का मौजूदा रूख छंटनी की समस्याओं से आगे नहीं जाता है। इससे सभी हलकों के तमाम रोजगारखोजी कभी एकत्रित नहीं होंगे। सभी तबकों के युवाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे आंदोलन का सबसे जुझारू तबका हैं। यदि उनकी पहल तथा सामर्थ्य को जगा दिया जाय, तो संगठन के कार्य में आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल होंगी। डी० वाई० एफ० आई, और एस० एफ० आई० ने इस दिशा में पहले भी सराहनीय कार्य किया है। कुछ जगहों पर, जैसे केरल में, डी० वाई० एफ० आई, ने ट्रेड यूनियनों को पीछे छोड़कर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने में पहल की है।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जवाहर योजना और शहरी क्षेत्रों के लिए संशोधित नेहरू रोजगार योजना को लागू करने के लिए स्वीकृति दी है। इन योजनाओं का पूरा-पूरा फायदा उठाने की जरूरत है। लेकिन, ऐसा तभी संभव होगा, जब मूलगामी भूमि सुधार किए जायं, वरना इसका लाभ निहित स्वार्थ उठा ले जायेंगे। जब तक कि ग्रामीण इलाकों में निहित स्वार्थों की शक्ति नहीं कुचली जाती है, महज विकेंद्रीकरण या पंचायतों की शिरकत से ज्यादा कुछ होनेवाला नहीं है।

फौरी मांगों के लिए अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों की विपदा को दूर करने के लिए भूमि सुधारों के अलावा नयी योजनाएं शुरू करने की जरूरत है।

शहरों में, बंद कारखानों को खोले जाने के प्रयास किए जायं और जहां पुनर्गठन की जरूरत हो, वहां मजदूरों की सलाह से तथा उनके अनुमोदन से ऐसा किया जाय।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र में नयी भरती पर लगी पाबंदी हटा लेनी चाहिए और बढ़ते कार्यभार के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए।

आधुनिक प्रतिष्ठानों में अतिरिक्त भर्ती के दृष्टिकोण से, काम के घंटे को घटाने की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

संक्रमणकाल में, परंपरागत उद्योगों की रक्षा की जानी चाहिए, जो आज तबाह हो रहे हैं।

सूती कपड़ा तथा जूट उद्योगों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो, जिससे रोजगार क्षमता बढ़े और उनके उत्पादन का पुनर्गठन किया जा सके।

मजदूरों को काम पर लगाने और हटाने, तालाबंदी घोषित करने के मालिकान के अधिकारों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और यह जिम्मेदारी एक सक्षम निकाय को सौंपी जानी चाहिए, जिसमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व हो।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश, आयात उदारता तथा नये क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

रोजगार के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच सारा भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए।

बेरोजगारों की मदद के लिए, निरक्षरता दूर करने का व्यापक अभियान छेड़ा जाना चाहिए बेरोजगारी-राहत के सिद्धांत को कई राज्यों में स्वीकार कर लिया गया है, इसका विस्तार किया जाना चाहिए। बेरोजगारी के खिलाफ तथा रोजगार की सुरक्षा के लिए संघर्ष एक अखिल भारतीय प्रश्न है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। इसके लिए जरूरत है अखिल भारतीय समाधान की, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, बंद मिलों को खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रोजगार योजनाएं चलाने के लिए अखिल भारतीय विधान बनाने की। इसके लिए आर्थिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की भी जरूरत है, जिसे भी केंद्र सरकार ही संपन्न कर सकती है। इन समस्याओं को टुकड़ों में राज्य हल नहीं कर सकते। चूंकि उनके पास न तो इतने आर्थिक संसाधन हैं न ही मजदूरों की जिंदगी के सिलसिले में प्रबंधनों तथा मालिकों को हासिल असीमित शक्तियों में हस्तक्षेप करने की कानूनी ताकत उनके पास है। यह कुछ संतोष की बात है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बेरोजगारी की समस्या के महत्व को समझती है और हम आशा करते हैं कि पिछले कांग्रेस (आई) शासन के विपरीत, यह सरकार बेरोजगारों की विपदा दूर करने के लिए व्यावहारिक कदम उठायेगी और गांवों तथा शहरों, दोनों में रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कार्यक्रम तैयार करेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए वैधानिक शक्तियों की अनिवार्यता

कामरेड सुशीला गोपालन महासचिव और का० वृन्दा करात अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सह-सचिव ने महिलाओं के राष्ट्रीय कमीशन के मुद्दे पर केंद्रिय संचालन के मानवीय संसाधन विकास मंत्री को निम्न-लिखित ज्ञापन दिया।

महोदय,

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से, जिसकी महिला सदस्यों की संख्या देश के विभिन्न इलाकों में 29 लाख से भी अधिक है, हम इस सभा का स्वागत करते हैं जिसे भारत सरकार ने महिलाओं के राष्ट्रीय कमीशन पर चर्चा के लिए आयोजित किया है। पिछले 15 वर्षों से विभिन्न महिला संगठनों के द्वारा उठाई गई मांगों के बावजूद पिछली सरकार ने इन्हें मानने से इन्कार कर दिया। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा इस प्रकार के कमीशन बनाने के विचार की महिला आंदोलन में पहले से जरूरत महसूस की जा रही थी। इसलिए प्रारम्भ में ही हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि कमीशन का कोई अर्थ है तो वह वैधानिक शक्ति की आवश्यकता होगा।

1. यहां यह दोहराना जरूरी हो जात है कि सरकार को वैधानिक शक्ति पर अपने विचार स्पष्ट करने हैं। कारण क्या है? जिसे हम यहां कह रहे हैं, क्योंकि यदि कमीशन होना है तो वैधानिक शक्ति के साथ हो और नहीं तो कोई कमीशन न हो। क्योंकि इस देश में हैसियत के रूप में स्त्री को केवल थोथे प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं मिला है। आजादी के बाद से आज तक ये अनुमान है कि सरकारी एजेंसियों, समितियों और आयोगों द्वारा महिलाओं के विकास से जुड़े 2500 सुझाव दिये जा चुके हैं। बहुत से सुझाव निरन्तर बनने वाली समितियों ने दोहराए हैं। अभी तक सरकार ने इन सुझावों को अनिवार्य रूप से लागू करने के ऊपर बल नहीं दिया है। और न ही इस बात की सफाई ही पेश की कि सुझाव क्यूंकर लागू नहीं किए जा सके। और न ही इन सुझावों को संसद के सामने पेश करने की आवश्यकता ही समझी गई। परिणामतः इन विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किया गया काम, केवल समय और पैसे की बर्बादी ही रहा है। अतः महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए जो तर्काधार पेश किये गये हैं और पिछले कई वर्षों में जो सुझाव दिये गये हैं उनसे महिलाओं की समानता की स्थिति में सुधार तो नहीं हुआ अलबत्ता उनकी स्थिति में गिरावट अवश्य आई है। यदि उपरोक्त स्थिति को दोहराना नहीं है तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जिस राष्ट्रीय आयोग का सुझाव पेश किया गया है उसे वैधानिक शक्तियां अवश्य दी जानी चाहिए जिससे इसके द्वारा पेश किये गये सुझावों को कानूनी समर्थन प्राप्त हो।

2. कमीशन को महिलाओं के विकास की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। जो कि राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा हो, साथ ही सामान्य नीति-निर्धारण में इन आवश्यकताओं को जोड़ने के लिए इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। महिलाओं के विकास के लिए कई पृथक प्रस्ताव पेश किए गए जैसा कि पिछली सरकार की "महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय योजना" से झलकता था। वो ये थी कि तमाम कोशिशें केवल आरक्षित कोटे की पूर्ति के लिए की जाती रही हैं। जिससे इस वास्तविकता को नकारा जा रहा है कि महिलाओं के साथ असमानता को दूर करने के लिए निति-निर्धारण या योजना बनाने में हर स्तर पर कोशिश की जानी चाहिये। आयोग को विभिन्न योजना निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, जिसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण भी शामिल हैं, इनमें साधनों के निर्धारण और प्राथमिकता के विषय पर हिस्सा लेना चाहिए।

3. आयोग का एक महत्वपूर्ण काम स्थिति का लगातार जायज़ा लेना, मूल्यांकन करना और एक निगरानी निकाय का संगठन करना है।

यह तथ्य है कि यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं के बारे में वर्तमान में जानकारी है, आम योजनाओं से विभिन्न महिलाओं के विशेष या महिला लाभों की कोई समीक्षा नहीं मिलती। सोचा नहीं जा सकता कि बिना आंकड़े के आधारों

के अनुदानित फंड कैसे खर्च किए जाते हैं, कितने लोगों को, किस तरह से काम मिलता है—या योजनाएं ही कैसे शुरू या समाप्त की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर तथाकथित इंदिरा महिला योजना को 27 महिला-विशेष योजनाओं का योग होना था—पर संबद्ध योजनाओं की कोई विस्तृत समीक्षा नहीं की गई। उसी तरह, वर्तमान मूल्यांकन और नियमित संचालन कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वियन का निरीक्षण करना अनिवार्य है, जिसे आयोग को करना होगा। सभी क्षेत्र की महिलाओं की प्रगति का संचालन करने हेतु सभी मंत्रालयों में सेल बनाने की पहले की अनुशंसा लागू ही की जानी चाहिए, जिससे निस्संदेह आयोग को ताकत मिलेगी। और आयोग को भी इन सेलों के साथ नियमित संबंध स्थापित करना होगा। आयोग में सेलों की उप-समिति पर भी विचार किया जा सकता है। इस संबंध में आयोग को अपनी तहकीकात, आम सुनवाई सहित, खुद करने का अधिकार होगा।

4. स्वयं समिति को संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए तथा संसद में और भारत सरकार के पास, नियमित तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। आयोग का कार्य सख्ती तौर तर संघीय ढांचे के मुताबिक होना चाहिए और इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के विभिन्न अधिकारों एवं अधिकार क्षेत्रों का खयाल रखा जाना चाहिए। समस्याओं की विभिन्नता, विशालता और भूत के अनुभव को देखते हुए यह स्पष्ट है कि एक अति केंद्रीकृत ढांचा अपनी अपेक्षित भूमिका नहीं अदा कर पाएगा। अतएव केन्द्र में संवैधानिक आयोग के गठन के बाद जरूरी है कि राज्य स्तरों पर भी ऐसे आयोग हों, जो पंचायत स्तरों पर अपने कार्य का विस्तार कर सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की जरूरतों के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के मूलगामीकरन के बाद ही किसी परिवर्तन की आशा रखी जा सकती है। राज्य आयोगों के गठन के लिए अनिवार्य अनुदान की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

5. जहां तक आयोग से संबद्ध लोगों का सवाल है, महिलाओं, ट्रेड यूनियनों, कृषकों आदि के जन संगठनों की शिरकत अनिवार्य है—उन व्यक्तियों के अलावा, जिनकी महिला हितों के प्रति प्रतिबद्धता असंदिग्ध है, योजना आयोग एवं विभिन्न मंत्रालयों की हिस्सेदारी भी उतनी ही जरूरी है।

हम आशा करती हैं कि आयोग के अंतिम ढांचे पर बात करते वक्त इन प्रश्नों को ध्यान में रखा जाएगा। आयोग से जुड़ी अन्य कई जिम्मेदारियां और कर्तव्य हैं, जिन्हें ठोस आकार प्रदान करना होगा। बिना किसी विलंब के वैधानिक आयोग के गठन के प्रयास शुरू होने चाहिएं। इस प्रयास में हम अपने संगठन के सहयोग का आश्वासन देते हैं।

दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

महिलाओं की मुक्ति और विकास के प्रति नारीवादियों की प्रतिबद्धता जाहिर करने के अवसर के रूप में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अहम महत्व हो गया है। इस साल 8 महिला संगठनों ने दमन और भेदभाव के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने के लिए संयुक्त कार्यक्रम किया। संसद के चतुर्दिक मानवीय शृंखला का प्रतीकात्मक उद्देश्य था सम्पत्ति और स्वास्थ्य के सन्दर्भ में महिलाओं का समान अधिकार तथा लिंग भेदपरक जांचों के प्रति नीति-निर्धारकों का ध्यान आकृष्ट करना। यह भी महसूस किया गया कि नारियों की रक्षा के लिए वर्तमान कानून, जिन्हें लागू नहीं किया जा रहा, न केवल विभिन्न मामलों में लागू किए जाने चाहिए, बल्कि प्रभावी होने के लिए सुधारे भी जाने चाहिए। एकजुटता की कार्रवाई का उद्देश्य धर्म या जाति के नाम पर भागलपुर, कोटा और दूसरी जगहों पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बर्बरता को रेखांकित करना था। इन जगहों पर सबसे दुष्प्रभावित हल्के-महिलाएं और बच्चे थे। महिलाओं ने पुरजोर आवाज में शपथ ली कि आम आदमी की रोजाना जिन्दगी को दुश्वार बनाने वाले आतंकवादी एवं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एवं देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष

विभिन्न परचमों के तले जन्तर-मन्तर में इकट्ठा होकर, पंक्तिबद्ध होकर जुलूस में चलना—महिला शिशु पर वर्कशाप तथा शहर की महिलाओं से मानवीय शृंखला में शरीक होने का आह्वान आदि महीने-भर की गतिविधियों का सुखकर उपसंहार था। अपील में उठाए गए मुद्दों का उत्साहवर्द्धक असर रहा—महिलाशिशु की समस्याएं—जिन पर वयस्कों का बोझ लाद दिया जाता है। महिला शिशु—विभिन्न प्रदर्शनियों, रैलियों तथा बहसों में विषमता एवं गरीबी के प्रतीक के रूप में उभरी—भारत में लड़की के रूप में पैदा होने के दर्द पर आयोजन किए गए।

दिल्ली के सभी हलकों से महिलाएं अपने उत्सव—महिला दिवस में भाग लेने पहुंची। उनको ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वीमेन की विमल रणदिवे, एड्वा की वृन्दा करात, एन. एफ. आई. डब्ल्यू. की सांसदा गीता मुखर्जी, जे. डब्ल्यू. पी. की ज्योत्सना चटर्जी, वाई. डब्ल्यू. सी. ए. की मेरी खेमचंद, सी. डब्ल्यू. डी. एस. की वीणा मजूमदार, महिला दक्षता समिति की प्रमिला दंडवते ने सम्बोधित किया। उन्होंने कामकाजी महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं, गरीब और बेकार महिलाओं और सांप्रदायिकता की समस्याओं को रेखांकित किया। ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेन्स तथा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलस्टडीज ने भी शिरकत की। ए. एन. सी. की ज्वायस एम्फेले ने महिलाओं को साधुवाद दिया और यहां की महिलाओं ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अफ्रीकी महिलाओं के संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया गया। एकता, समता और बहनापा के नारे ने संसद की ओर बढ़ते हुए नारे लगाते समूह में उत्साह का संचार किया। किनारे खड़े दर्शकों ने भी महिलाओं की हौसला-आफ्जाही की, जिन्होंने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर वृत्त की शक्ल में संसद को घेर लिया। ये उत्सव महिलाओं की एकजुटता एवं दस वर्ष पुराने संघर्ष के विश्वास को प्रतिबिम्बित करते हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि महिलाओं की एकांकी बुलंद आवाज ने न केवल नीति-निर्धारकों बल्कि आम आदमी को भी प्रभावित किया।

8 मार्च कैसे शुरू हुआ

सूती एवं वस्त्र उद्योग की महिलाओं ने अमानवीय कार्य स्थितियों तथा कम मजदूरी के खिलाफ 8 मार्च, 1857 को न्यूयार्क की गलियों में प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग भी की।

1866 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सभा ने महिलाओं के व्यवसायिक कामों पर प्रस्ताव पारित किया और इस तरह उस अलिखित कानून का विरोध किया, जिसके अनुसार महिलाओं की जगह मात्र घर है। इसने महिलाओं की आर्थिक आजादी का नया अध्याय खोला जो महिलाओं की समता के लिए आधारभूत शर्तों में से एक है। 1871 में पेरिस कम्यून के दौरान दसों हजार फ्रांसीसी महिलाओं ने बैरिकेट संघर्षों में हिस्सा लिया।

1889 में 19 जुलाई को पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना सम्मेलन में क्लारा जेटकिन ने अपना भाषण दिया। उन्होंने काम के प्रति महिला अधिकार, मां और बच्चे की सुरक्षा, तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में महिलाओं की शिरकत का दावा किया।

हेग में 1899 में युद्ध के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ। यह युद्ध-विरोधी आंदोलन की शुरुआत थी, जो दिनोदिन मजबूत हुआ।

समाजवादी महिलाओं के द्वितीय इंटरनेशनल ने, 1910 में 26/27 अगस्त को कोपेनहेगने में, क्लारा जैटकिन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पारित किया कि, "एक वार्षिक महिला दिवस—महिलाओं के अधिकार, शांति एवं स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रतीक के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाए।" प्रस्ताव को 17 देशों के करीब 100 प्रतिनिधियों ने स्वीकृत किया। यह प्रस्ताव इतिहास में महिलाओं के प्रथम संघर्षों के अनुभवों पर आधारित था।

फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1789 में 'स्वतंत्रता, एकता एवं भाईचारे' के नारे लगाती फ्रांसीसी महिलाओं ने पहली बार महिलाओं के मताधिकार की मांग की। वर्साई का शक्तिशाली मार्च महिला इतिहास का भी एक सुनहरा पन्ना है।

1905/07 में रूसी महिला मजदूरों ने जारशाही निरंकुशता के विरुद्ध हड़तालों में आत्मिक रूचि दिखाई। 1907 में जर्मनी में संगठित महिला मजदूरों की संख्या

बढ़ रही थी ट्रेड यूनियनों की सदस्याएं 1,20,000 थी तथा 10,000 तत्कालीन 94 क्लबों के साथ थीं।

कोपेनहेगन सम्मेलन में पारित प्रस्ताव का जबर्दस्त स्वागत हुआ। मार्च 1911 को जर्मनी, डेनमार्क, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। दस लाख से अधिक महिलाओं एवम् पुरूषों ने रैली में भाग लिया। एक महीना पहले अमरीका में, प्रगतिवादी महिलाओं ने तीसरा राष्ट्रीय 'महिला दिवस' मनाया।

एक वर्ष बाद, फ्रांस, नीदरलैंड और स्वीडेन की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सवों में भागीदारी की। 1913 में पिट्सबर्ग, रूस में पुलिस के क्रूर आतंक के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रथम रैली हुई। 1914 का महिला दिवस युद्ध-विरोधी परचम के नीचे हुआ। क्लारा जैटकिन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर युद्ध विरोधी प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

बलगारियाई महिलाओं के प्रस्ताव पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय महिला सचिवालय ने 1921 के वसंत में तय किया कि महिला दिवस पूरे विश्व में अब 8 मार्च को मनाया जाएगा।

1990 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 80वीं वर्ष गांठ पर अपनी बढ़ती शक्ति का प्रमाण देती हुई सभी महादेशों की महिलाएं एकत्रित होंगी। वे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा के लिए अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन करेंगी। अपने परिवारों के लिए वे सामाजिक एवम् भौतिक सुरक्षा की जिन्दगी हासिल करना चाहती हैं और वे संघर्षों के सहारे जीता अपना समता के अधिकार की रक्षा करेंगी। एक नए युग की दहलीज पर करोड़ों महिलाएं अपने वक्त की चुनौतियों के आमने-सामने हैं।

टी. यू. आई. ए. एफ. पी. डब्ल्यू. का 8 मार्च के लिए शुभकामना संदेश

प्रिय बहनो,

आठ मार्च, आपके प्रति, अपने सच्चे बंधुत्व भाव से आपको अवगत कराने का, सबसे उचित दिन है।

आठ मार्च विश्वभर की महिलाओं के लिए संघर्ष और उत्सव का दिन है। हम खेतिहर, वनस्थली और बागान कामगारों के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के लिए विचार करने का भी दिन है, जब हमें मानव-जाति के सम्पूर्ण इतिहास में, महिलाओं के द्वारा निरन्तर निभायी गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से महसूस करनी चाहिए।

यह दिन, हमारे उद्योग से जुड़ी कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के निदान को उद्देश्य बनाकर, की जा रही अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में किन्हीं परिणामोन्मुख निर्णयों की खोज में अपने प्रयास को जारी रखने के संघर्ष के प्रति, आपको आश्वस्त करने का भी सर्वोत्तम अवसर है। इस प्रकार, हम सदियों से निरन्तर ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किए गए प्रयत्नों, जिन्हें अक्सर नजरअन्दाज किया गया, की क्षतिपूर्ति के लिए प्रयासरत, अपनी न्याय संगत माँगों को लेकर संयुक्त संघर्ष में संलग्न हैं।

इस प्रकार, समाज में, महिलाओं के द्वारा निभाई गई सुयोग्य भूमिका के ऐतिहासिक महत्व के प्रति यह हमारी दृष्टि है।

हम लोग सामाजिक और आर्थिक अन्याय, जिसके शिकार विश्व के अधिकतर लोग हैं, जिम्मेदार कारणों को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयास को संगठित और सुदृढ़ करने में आपके सक्रिय योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए आपका आह्वान करते हैं। हम आपका आह्वान करते हैं, सभी के सुन्दर जीवन की कामना के साथ, पुरुष और नारी दोनों के मुक्ति का उद्देश्य लेकर, समानता के लिए संघर्ष, जो हमारा अन्तिम लक्ष्य है, को और सक्रिय बनाने का। महान दिवस आठ मार्च के लिए—अन्तर्राष्ट्रीय कामकाजी महिला दिवस—जिन्दाबाद।

टी. यू. आई. एफ. टी. डब्ल्यू.।
सचिवालय

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 1 रुपया
वार्षिक चन्दा : 6 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

महिला पुलिस के खिलाफ भेदभाव बरता जाता है

[निम्नांकित लेख रशीद अत्तहर ने 30-7-89 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में लिखा था जो अपनी व्याख्या खुद करता है—सम्पादक]

जहां दिल्ली में महिला पुलिसों को लगातार ट्रैफिक पर तैनात किया जा रहा है, वणिज्य केन्द्र बम्बई में उन्हें सबसे फौरी और चुनौती काम पुलिस स्टेशन के काम से वंचित किया जा रहा है।

जहां महिलाओं को पुलिस बल में अब स्वीकार किया जाता है, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता।

इस संवाददाता ने 1986/87 में वृहत्तर बम्बई की महिला पुलिस पर एक शोध अध्ययन चलाया। 80 महिलाओं जिनमें से 29 प्रतिशत बम्बई के एयर पोर्ट, बन्दरगाह, जे. ए. पी. यू. और कल्याण केन्द्रों पर थीं, से बातचीत की गई।

पाया गया कि विभिन्न सत्र की महिला कांस्टेबलों की प्रशिक्षण अवधि विभिन्न थी—तीन महीने से एक वर्ष तक—और उनके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं था। दूसरी ओर पुरुष कांस्टेबलों के लिए निश्चित पाठ्यक्रम हैं और प्रशिक्षण अवधि भी तय है। महिलाओं की प्रशिक्षण अवधि पुरुष अधिकारियों की तुलना में लगभग आधी थी।

अध्ययन में पाया गया कि, बंदोबस्त, पेट्रोलिंग आदि महिला पुलिसों को दी जाने वाली बड़ी ड्यूटियां हैं। राज्य परिषद के सत्र के दौरान बंदरगाहों पर तैनात महिलाओं को बंदोबस्त ड्यूटी पर बुला लिया जाता है।

जे. ए. पी. यू. के चार्ज में आवारा, भागी लड़कियों, लड़के, महिलाएं और मुफलिस हैं। इस इकाई से आपेक्षित है कि वह 1948 के बम्बई महिला अधिनियम को लागू करे। पुलिस के लोगों को माता-पिताओं को खोजना और महिला बंदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है।

महिला अधिकारियों को विजिलेंस शाखा का चार्ज नहीं दिया जाता है। सच में, यह पुरुषों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। वेश्याओं आदि पर कार्रवाई के दौरान मात्र एक-दो महिला पुलिसों को उनको जांच के लिए साथ ले लिया जाता है। उनकी कैद और अभियोग के बारे में सारे निर्णय पुरुष पुलिस लेती है।

हाल की पुलिस थानों में महिलाओं की पिटाई की घटनाओं के बाद सक्षम और योग्य महिलाओं को थानों में लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

कोई चुनौती नहीं

लेखिका ने अपनी पड़ताल के साथ साथ, सबसे नई लगी महिलाओं से इन्टरव्यू भी किया। यह नासिक में पुलिस संस्थान में प्रशिक्षण पाता पहला बैच है। लगभग तमाम अफसरों को एयरपोर्ट पर काम पर मामूली काम पर लगा दिया गया है, जबकि उनके दिलों में चुनौतीपूर्ण कार्य करने के अरमान थे।

इन अफसरों का भविष्य बहुत गौरवशाली नहीं नजर आता। यदि इस तथ्य पर ध्यान दें कि, 1977 में नियुक्त महिलाओं को पिछले 10-11 सालों में एयरपोर्ट के हल्के कामों से स्थानांतरित नहीं किया गया है।

हाल की नियुक्त महिलाओं में कुंठा की एक खास वजह यह है कि उन्हें पैन्ट और शर्ट वर्दी की तरह पहनने की इजाजत नहीं हैं, जब वे बंदोबस्त ड्यूटी पर होती हैं—क्योंकि उनके वरीय उन्हें साड़ी पहनवाना पसन्द करते हैं।

अफसर इसे किसी आपातकालीन स्थिति, जैसे महिला मोर्चाओं का सामना करने में बाधा मानती हैं। जब उनसे युवा और पुराने अफसरों में मत-वैभिन्नता के बारे में पूछा गया तो एक वरीय महिला अधिकारी ने कहा—"हमें पुरुष अफसर बंदोबस्त ड्यूटी में पीछे से बचाते हैं और इसलिए जब कोई आपातकाल हो तो उसे हमें हल नहीं करना होता है। इसीलिए हमें हथियार भी नहीं दिए जाते। इससे पता चलता है कि उन्हें बंदोबस्त ड्यूटी में भी हाशिए पर ढकेला जाता है।

युवा अफसरों की दुविधा निम्नांकित वक्तव्यों से समझी जा सकती है। एक अफसर ने कहा कि "मुझे लगता था कि पुलिस का काम चुनौती, जोखिम और मनो-

[शेष पृष्ठ 19 पर]

बिहार आंगनवाड़ी वर्कर्ज और सहायकों को 600/400 रुपये के लिए मानदेय के रूप में मांग

रामपुकारी देवी, बिहार

बिहार राज्य कर्मचारी यूनियन के आयोजन पर 7 फरवरी 90 को एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया जिसमें आंगनवाड़ी सेविका संघ, प्रसव सेविका संघ और कई संस्थाओं ने हिस्सा लिया। दोपहर एक बजे शुरू होकर जुलूस शहर की प्रमुख सड़कों से होता हुआ मुख्य मंत्री के आवास की ओर बढ़ा। बैले मार्ग पर पुलिस के घेराव के कारण जुलूस एक आम सभा में तबदील हो गया। कॉमरेड योगेन्द्र प्रसाद सिंह प्रधान, गणेशप्रसाद सभापति, कॉमरेड राधारमन सिन्हा और कॉमरेड रामपुकारी देवी ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. बिहार की संयोजक और अन्य आंगनवाड़ी संगठनकर्ता जैसे सुशीला कुमारी और शांति देवी आदि उपस्थित थीं। लगभग 500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों और उनके द्वारा वादा तोड़ने की कड़ी आलोचना की और ये मांग की कि अनियमित वर्कर्ज को नियमित किया जाये, छंटनी को बंद किया जाये, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी की तरह माना जाये, अंतरिम तौर पर 600 रुपये और सहायकों को 400 रुपये वेतन के रूप में दिये जायें।

का० चंडीप्रसाद, सीटू अध्यक्ष ने अपने भाषण में सरकार को ये अल्टिमेटम दिया कि कर्मचारियों की मांगों को अभी स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा कि सीटू उनकी मांगों को मनवाने के संघर्ष में भागीदार करना चाहती है उन्होंने कहा "सरकार केवल प्रतिरोध की भाषा ही जानती है, इसलिये अपनी मांगें मनवाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करो।"

रैली कर्ताओं ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी पेश किया। रैली की वजह से यातायात तीन घंटे के लिए ठप्प रहा।

महिलाएं आलोचना करने में उत्साही थीं और उनके जुझारू नारे शहर में गूंज उठे। ये साफ था कि महिलाएं अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष के लिए दृढ़संकल्प थीं। सभा शाम 7 बजे सम्पन्न हुई।

8.2.90 को सुशीला कुमारी की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी वर्कर्ज की एक सभा हुई। बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जून में राज्यस्तर पर एक सम्मेलन बुलाया जाये। 'अखिल भारतीय सभा' का संविधान सभी ने स्वीकार किया, हालांकि रामपुकारीदेवी ने कहा कि संतुलित संविधान के विकास के लिए केन्द्र के द्वारा बनाए गये संविधान को राज्यों के संविधान से तुलना कर लेनी चाहिए। भविष्य का काम केन्द्र के द्वारा अंतिम संविधान मिलने पर आगे चलाया जा सकता है।

आंगनवाड़ी महिलाओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया

बी० प्रसाद के नेतृत्व में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कामगर संगठन के द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री आवास के सामने 27 जनवरी, 1990 को प्रदर्शन किया। प्रमुख मांग 'आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाएं', थीं।

यूनियन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर जोर देने वाला एक ज्ञापन भी पेश किया। यूनियन के नेताओं ने कांग्रेस (ई) सरकार की आलोचना की कि उसने पूरे देश में 9 लाख महिला कर्मचारियों को सम्पूर्ण बाल विकास योजना के अन्तर्गत बांधे रखा लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया। यूनियन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए जनवरी 86 से 1400-2600 और सहायकों के लिए 800-1500 रुपए तक के वेतन मान की मांग की। साथ ही पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास की सुविधा और यात्रा भत्ता देने की भी मांग की।

यूनियन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए—अधिनियम 1976 के अंतर्गत समान काम के लिए समान वेतन का भी पक्ष लिया।

कॉमरेड प्रमिला पंधे ने बोट क्लब पर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीटू के संघर्ष ने संगठनों के काम करने के माहौल और संघर्ष को तेज करने उसे सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग को आगे बढ़ाया है।

दरभंगा की आंगनवाड़ी महिलाओं ने हजारों की तादाद में प्रदर्शन के बाद केन्द्रीय एवम् बिहार सरकार को ज्ञापन दिया

आंगनवाड़ी यूनियन की दरभंगा इकाई ने 10.2.90 को केन्द्र एवं राज्य सरकार को एक दस मांगों का चार्टर दिया। इसमें बेगूसराय और समस्तीपुर की शाखाएं भी शामिल थी। मांगें थी—1. सरकारी कर्मचारियों की मान्यता, 2. हेल्परों तथा वर्करों को 400 और 800 रु. मासिक वेतन 3. पर्यवेक्षकों की नयी नियुक्ति पर रोक तथा रिक्त पदों पर वर्करों को प्रोन्नत किया जाए, 4. महीने के पहले सप्ताह में यातायात खर्च को नियमित रूप से दिया जाए, 5. पोषक तत्वों की अदायगी भी ऐसे ही हों। 6. आंगनवाड़ी के लिए किराया 120 रु. से बढ़ाकर 150 रु. कर दिया जाए। 7. रिकार्ड आदि रखने के लिए फर्नीचर की आपूर्ति की जाए। 8. वर्करों और हेल्परों को बोनस दिया जाए, 9. प्रोविडेन्ट फन्ड दिया जाए, 10. आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए दवा चिकित्सा एव हस्पतालों की व्यवस्था की जाए। उन्हें प्राथमिकता और जरूरी मदद दी जाए।

उदयपुर में भी आंगनवाड़ी महिलाओं ने जिलाध्यक्ष कार्यालय पर धरना दिया।

कामकाजी महिलाओं का सहारनपुर में पहला अधिवेशन

महिला सर्व विकास समिति द्वारा श्रीमती सतपाल कौर की अध्यक्षता में 10.2.90 को एक अधिवेशन आयोजित किया गया। लगभग 200 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया जिसमें से अधिकांशतः आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थीं। सी.आई.टी.यू. के राज्य सचिव गुलाबसिंह ने अधिवेशन को सम्बोधित किया। इसके साथ जिला सचिव तिलकराज भाटिया और ज.म.स. प्रतिनिधि चन्द्रमोहिनी और श्रीमती कमलेश अरोड़ा भी मौजूद थी। श्रीमती अरोड़ा ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की। 15 महिलाओं ने चर्चा में हिस्सा लिया तथा निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए।

1. समान काम के लिए समान वेतन।
2. महिला मजदूरों के शोषण की समाप्ति।
3. आंगनवाड़ी श्रमिकों को सरकारी मान्यता दी जाए ताकि वह सरकारी कार्यकर्त्ताओं के लाभ को प्राप्त कर सकें।

इस अधिवेशन में 15 सदस्यों की एक कमेटी का चयन किया गया जिसमें शागुप्ता, मग्ना, सरमिशा, सोकेश शर्मा, निर्मला शर्मा, राजबाला, सरोज वर्मा, रीना महेश्वरी मधुबाला गुप्ता, शम्भू त्यागी, बीना कुमारी, सुशीला शर्मा और रमेश अरोड़ा शामिल किए गए। पदाधिकारियों का चुनाव अगली सभा में किया जाएगा जिसकी तारीख आगे तय की जाएगी।

विमान परिचारिकाओं ने अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई

एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइन्स की परिचारिकाओं की एक सभा 9 फरवरी को नई दिल्ली में हुई जहां केबिन क्रू कर्मचारियों का दोनों विमान सेवाओं की समस्याओं के प्रभावी हल के लिए अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाने का भी निश्चय किया गया। पहली बार विमान परिचारिकाओं तथा पुरुष केबिन क्रू सदस्य साथ मिले जिनमें एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन और एयर इंडिया होस्टेसेज एसोसिएशन को भी सम्मिलित किया गया।

सभा ने पूरे देश की परिचारिकाओं को बधाई दी, जिनके आंदोलन की वजह से सेवा निवृत्ति आयु सीमा बढ़ाकर 58 साल की गई और गौर किया कि प्रबंधन इस निर्णय को सही भावना से लागू नहीं कर रहे। एयर इन्डिया ने केन्द्रीय सरकार के निर्णय को प्रभावी रूप देने के लिए कोई सूचना जारी नहीं की है। जबकि इंडियन एयरलाइन्स प्रबंधन अभी भी शर्मनाक शर्तों और मेडिकल फिटनेस परीक्षा (मात्र महिलाओं के लिए) की जिद पर अड़ा हुआ है। सभा ने तय किया कि दोनों विमान सेवाओं के प्रबंधनों द्वारा भेदभाव को सदा के लिए समाप्त करने के लिए संघर्ष जारी रखा जाएगा।

सभा ने निर्णय लिया कि 19/20 मार्च को आंदोलन की समीक्षा के लिए मीटिंग होगी जहां केबिन क्रू सदस्यों के भविष्य की कार्रवाई तय की जाएगी। तब नागरिक उड्डयन मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी, उनके सामने मांगें रखी जाएंगी।

मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता के सर्वव्यापी प्रतीक नेल्सन मंडेला की रिहाई पर ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. का अभिनंदन

तृतीय विश्व के लोग अपनी आंखें टी. वी. पर टिकाए, सांसें रोके दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी की सताईस सालों के बाद रिहाई का ऐतिहासिक क्षण देखने के लिए बेताब हो रहे थे। जहाँ हजार-हजार समर्थक खुशी में नाचते हुए कसी मुट्ठियों से मंडेला का अभिवादन कर रहे थे; इन्होंने अपनी पत्नी विन्नी मंडेला के साथ स्वतंत्रता की ओर पहला कदम रखा।

लेकिन मंडेला के शारीरिक परिवर्तन ने दक्षिण अफ्रीका की अल्प संख्यक श्वेत सरकार के खिलाफ उनके दीर्घ और साहसी संघर्षों की याद ताजा कर दी। दुर्बल मंडेला के केश यद्यपि सफेद हो गए हैं पर इतनी क्रूरता सहने के बावजूद न तो उनका अतिश मरा है न ही जूझारूपन। मंडेला की मुक्ति के बारे में हो रही अटकलें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम नस्लों के लोगों के लिए मानव अधिकारों पर आधारित जनवादी दक्षिण अफ्रीका के लिए सिद्धान्त पर आधारित अदम्य संघर्ष की इच्छा को निरूपित करती हैं।

जहां संसार मंडेला की मुक्ति के आन्दोलन की सफलता पर खुशी मना रहा था, श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों ने सिट्टी हॉल में एकत्रित मंडेला को सुनने के लिए आतुर हजारों की भीड़ पर हिंसक आक्रमण किए, जिसमें बीस लोग मारे गए। यह एक दमन की निरर्थकता से उत्पन्न एक कुन्ठित कार्रवाई थी—उस विचारधारा की कार्यवाही जो मानवीय भावना के खिलाफ रंगभेद जारी रखना चाहता है। हम भारतीयों ने, जिन्होंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके संघर्ष में सक्रिय साथ दिया था, इस विजय को भी बांटा, जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि मंडेला की मुक्ति "नस्लवाद, दमन और मानव के विरुद्ध, मानव की हिंसा पर न्याय और विवेक की जीत की अवश्वमंभाविता थी"।

मार्क्सवादी पार्टी ने मंडेला की रिहाई को दक्षिण अफ्रीकी लोगों की ए. एन. सी. के नेतृत्व में वीरतापूर्ण लड़ाई की जीत बताया। ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. भी इन भावनाओं से सहमत है चूंकि यह भी रंगभेद के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन का हिस्सा रही है। लेकिन जैसी कि मंडेला ने चेतावनी दी कि हलांकि ए. एन. सी. पर पाबन्दी हटना और खुद इनकी रिहाई अपने आप में महत्वपूर्ण है पर घृणित रंगभेदी सरकार के खिलाफ अन्तिम जीत कतई नहीं। रंगभेद को समाप्त करने और एक सच्चे जनवादी दक्षिण अफ्रीका को बचाने की लड़ाई अभी चलेगी।

सभी राजनीतिक नेताओं ने अपने समय के सबसे दमनात्मक शासन के प्रति मंडेला के जांबाज रवैये पर वक्तव्य दिए। उन्होंने प्रीटोरिया के खिलाफ प्रतिबन्ध हटाने के लिए ब्रिटेन की निन्दा की। श्रीमती थैचर द. अफ्रीका पर अन्तर्राष्ट्रीय एका को तोड़ने वाली राष्ट्रप्रतिनिधि थी। मंडेला ने जैसे भविष्य में झांकते हुए कहा "गोरे

[शेष पृष्ठ 19 पर]

टी.यू.आई.ए.एफ.पी.डब्ल्यू. क्यों कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर काम करता है?

सबसे पहले इसलिए क्योंकि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों में बहुत बड़ा हिस्सा महिला मजदूरों का है।

इसलिए भी क्योंकि आजकल वास्तविक ग्रामीण विकास की जितनी आवश्यकता और जिस स्तर की उपेक्षा की जाती है, जिसे विश्व स्तर पर भयानक खाद्य पदार्थों की स्थिति से उभरने के लिए जरूरी है, वह ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के, मजदूरों की समस्याओं को हल करने से ही दूर हो सकती हैं। विशेषतः नौजवानों और महिलाओं की समस्याओं को हल करने से जिनका उत्पादन में महत्व-पूर्ण भूमिका होती जा रही है। इसी पर चलते टी.यू.आई. ए.एफ.पी.डब्लू. ने महिला कर्मचारियों जो कि हमारे संगठनों से जुड़ी हुई हैं, अपनी गतिविधियों को चलाने पर बल दिया है।

"महिला कर्मचारी और ट्रेड यूनियनः परिप्रेक्ष्य और साझा भविष्य, नई चुनौतियां एवं जिम्मेदारियां" पर हुई पांचवी विश्व ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस, जो कि कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर हुई, की पहल डब्ल्यू.एफ.टी.यू ने की। हम गर्मजोशी के साथ उनके इस महत्वपूर्ण पहल-कदमी का स्वागत करते हैं।

दिसम्बर 1988 को किसानों और लेटिन अमरीका और कैरेबियन की क्षेत्रीय महिलाओं की पहली बैठक हुई जो कि पांचवे विश्व महिला कर्मचारी कांफ्रेंस की तैयारी के लिए की गई थी। टी.यू.आई.ए.एफ.पी.डब्ल्यू ने उन महिलाओं से अपील की जो ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थी और जो विभिन्न महादेशों की प्रतिनिधि थी, कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मजदूर सम्बंधी समस्याओं से जुड़ी गति-विधियों को बढ़ावा दें। इन समस्याओं पर पहला चरण महिलाओं व मजदूरों को पांचवे विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन की तैयारी के प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ। यहां पाया गया कि सम्बद्ध संगठनों ने पेशेवर समस्याओं से जुड़ी गति-विधियों में अत्यधिक सफलता प्राप्त की थी, इसका प्रति-फलन हम संगठनों द्वारा की गई पहल कदमी और इस क्षेत्र की घटनाओं, तथा ट्रेड यूनियन में महिलाओं के बड़ी संख्या में भर्ती के द्वारा देख सकते हैं।

इस समस्या से जुड़े कुछ विचार

ट्रेड यूनियन आंदोलन को ऐसी समस्याओं पर जिसमें ट्रेड यूनियन कारवाइयों में महिलाओं की हिस्सेदारी का सवाल हो एक स्पष्ट एवं अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इस सत्र में अधिक लोगों को शामिल होना चाहिए था ताकि महिलाओं की वास्तविक स्थिति पर उचित रूप से अवगत किया जा सके जिससे इस तरह की गतिविधियों को अधिक पुनर्गठित किया जा सके।

अपने संगठनों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को ट्रेड यूनियन के बारे में अधिक शिक्षित किया जाए।

ट्रेड यूनियन में महिलाओं की बढ़ती सदस्यता के बावजूद कुल ग्रामीण महिला कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। ट्रेड यूनियन नेतृत्व में महिलाओं की संख्या और भी कम नजर आती है।

विज्ञान और तकनीकी के महत्व और विकास पर भी अधिक बल दिया गया।

रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन स्तर और वातावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए सरकार टी. एन. सी. और उद्यमियों के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उससे महिलाओं की स्थिति और बदतर हो गई है।

टी. यू. आई. ए. एफ. डब्ल्यू. की अवधारणा को पुर्नस्वीकार किया गया था, जिसके अनुसार कृषि में नई परिस्थितियों के विश्लेषण और महिलाओं की भूमिका के पहल को बड़ी समस्या माना गया। यह जरूरी हो जाता है कि वह सारे रास्ते अपनाए जाएं जो कि ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी और सहयोगी कर्मचारियों के साथ मिलकर शान्ति, सामाजिक न्याय और समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों। अतः

डब्ल्यू. एफ. टी. यू. के अनुसार "1990 के लिए विश्व स्तर पर, नीतियों की जरूरत और सदी के अन्त तक अनिवार्य आमूल परिवर्तनों के लागू होने, जिससे पूर्ण विकास की गुंजाइश का इस्तेमाल मांगों को पूरा करने तथा मजदूर अधिकारों के प्रभाव और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के प्रत्येक चरण में हिस्सेदारी हो सकें। इन उद्देश्यों के लिए अगुआ लड़ाकू ट्रेड यूनियन की संगठित महिला मजदूर, एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का बैनर ऊपर उठाये रखेंगे।" (पांचवा विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन, महिला मजदूर, सोफिया सितम्बर, 1989)

[कामरेड विमल रणादिवे ए आई. पी. डब्ल्यू. एफ की महासचिव ने टी. यू. आई द्वारा 2 जुलाई 1989 को बागवनी और वन यूनियन द्वारा मास्को में हुई ग्रुप बैठक में हिस्सा लिया]

[पृष्ठ 14 का शेष]

योग से भरा होगा। मैं गलत थी मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एयरपोर्ट पर ड्यूटी करनी होगी" उसके साथियों ने भी ऐसे ही भाव व्यक्त किए। एक ने कहा "मुझे नहीं लगता कि मैं दो तीन साल से ज्यादा यह काम कर सकती हूं। अभी तक हम थाने के काम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं।" एक महिला अफसर ने अपनी दिल की आवाज सुनी और काम से त्यागपत्र दे दिया जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "महिलाओं के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया जाता है, हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। यदि हमें थाने का काम मिलता भी है तो मात्र एक अफसर को नियुक्त कर दिया जाता है और उसे भी बंदोबस्त ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि अगले दस वर्षों तक हमें चुनौती के काम मिलेंगे इसलिए मैंने काम छोड़ दिया है।"

युवा महिलाएं काम करने की जल्दी में है, महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़ रहे हैं समझदारी और कुशलता से हल करने की जरूरत है। पुलिस बल में बेहतर और प्रतिबद्ध प्रतिभाओं को आकर्षित करने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान स्थिति मात्र अड़चन बनकर रह गई है क्योंकि पुलिस हरेक स्तरों पर महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व की जरूरत को नहीं पहचानती।

[पृष्ठ 17 का शेष]

जनवाद के यथार्थ से डरते हैं" और आने वाले समय को उन्होंने एक बहुनस्लवादी समाज के लिए तालमेल का वक्त बताया, न केवल पीड़ित लोगों बल्कि तमाम द० अफ्रीकियों के बीच एकता हमारे देश की समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण शर्त हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत मुख्यतः दो मुद्दों पर होनी चाहिए—एकात्मक राज्य में बहुमत का शासन और श्वेत राजनीतिक स्थिति की रक्षा। उन्होंने एकता के लिए संघर्ष को जारी रखने का आह्वान किया। "स्वतंत्रता को छोटी-छोटी खुराक में नहीं दिया जा सकता। आदमी या तो मुक्त है या परतन्त्र—अर्द्ध मुक्त नहीं"।

ए. एन. सी. ने मात्र श्वेतों वाली प्रीटोरिया सरकार से नई संविधान पर बातचीत करने की शर्त उपलब्ध कर ली हैं। उनकी स्थिति स्पष्ट है। ए. एन. सी. फ्रीडॉम चार्टर में निरूपित व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहती है समूह अधिकारों की रक्षा नहीं।

जबकि दक्षिणपंथी गोरे डी. क्लर्क के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उसे जुडास कह रहे थे, और पुलिस हर्षोतफुल कालों पर दमन ढाह रही थी, विश्व समुदाय द. अफ्रीकी लोगों की कठिन राह के प्रति सचेत हो रहा था।

आल इण्डिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वीमेन्स एक बार फिर नेल्सन मंडेला का अभिवादन करती है और उनकी स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय महिलाओं के समर्थन का आश्वासन देती है।

[पृष्ठ 24 का शेष]

चूंकि अर्द्धकुशल, स्थैतिक काम महिलाओं को मिलते हैं, इससे महिला रोजगार में वृद्धि हो सकती है।"

अध्ययन ने दिखाया है गि औद्योगीकृत एवं विकासमान दोनों देशों में महिलाएं सरकारी क्षेत्र का वृहत्तर हिस्सा होती हैं—भले ही भारत एक गौरतलब अपवाद हों।

सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति से छंटनी बढ़ने की सम्भावनाएं हैं। निजीकरण एवं सरकारी खर्चे में कटौती का दुष्प्रभाव महिलाओं पर ज्यादा पड़ेगा, खासकर उन महिलाओं पर, जो कम सुरक्षित, अस्थायी स्थिति में हैं।

देहाती मजदूरों की समस्याओं पर केन्द्रीय सेमिनार

□ पी० के० गांगुली

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत काम कर रहे देहाती श्रम से संबंधित राष्ट्रीय कमीशन ने 8-9 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में खेतमजदूरों की समस्याओं पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। भूमि सुधार, रोजगार पैदा करने, खेतमजदूरों के रोजगार को नियमित करने के लिए कानून, काम की स्थिति, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा उपायों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया था।

करीब 400 प्रतिनिधियों ने सेमिनार में भाग लिया, जिनमें केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, योजना आयोग, आई.एल.ओ., केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, खेतमजदूर संगठनों, किसान संगठनों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य और देहाती श्रम से संबंधित राष्ट्रीय कमीशन द्वारा गठित अध्ययन ग्रुपों के प्रतिनिधि शामिल थे। सीटू का प्रतिनिधित्व उसके राष्ट्रीय सचिव पी.के. गांगुली और खेतमजदूर यूनियन का प्रतिनिधित्व उसके अखिल भारतीय महासचिव पी.के. कुंजच्चन कर रहे थे।

नयी सरकार का रुख

केंद्रीय श्रम मंत्री रामविलास पासवान ने सेमिनार की अध्यक्षता की। श्रम मंत्री के स्वागत भाषण और योजना आयोग के सदस्य, एल.सी. जैन की संक्षिप्त टिप्पणी के बाद, प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने सेमिनार का उदघाटन किया।

श्रम मंत्री ने अपने स्वागत भाषण और प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में खेतमजदूरों की दयनीय स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खेतमजदूर हमारे देश की असंगठित श्रम शक्ति का 90 फीसद हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेत मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी करना और उनकी जीवन स्थिति को बेहतर बनाना, मौजूदा सरकार की फौरी प्राथमिकता है। खेतमजदूरों के लिए कानून की आवश्यकता की चर्चा करते हुए उन्होंने इसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की जरूरत को दोहराया। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक कमेटी नयी कृषि नीति बना रही है। शुरूआती कदम के तौर पर भूमिहीन खेतमजदूरों, सीमांत किसानों, कारीगरों, बुनकरों आदि को ऋण राहत देने के लिए सरकार पहले ही 10,000 रु० तक ऋण माफ करने की घोषणा कर चुकी है और उसने आठवीं पंचवर्षीय योजना में निवेश का आधा देहाती क्षेत्र में लगाने का निर्णय लिया है। बहरहाल, दोनों ही नेताओं ने खेतमजदूरों की खराब स्थितियों की चर्चा की और इन स्थितियों को सुधारने का, राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणापत्र के वादों के मुताबिक आश्वासन दिया। उन्होंने कोई ठोस कदम या उपाय नहीं सुझाया यहां तक कि खेतमजदूरों के लिए कानून बनाने के सवाल पर भी उन्होंने यही कहा कि राज्यों में इस पर एक राय नहीं है। न तो प्रधानमंत्री ने ही और न श्रम मंत्री ने ही खेत मजदूरों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून के बारे में ठोस रुख अपनाया, जैसा कि उन्होंने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए गुप्त मतदान और प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी या निर्माण मजदूरों के सवाल पर अपनाया था। हालांकि दोनों ही नेताओं ने अपने भाषण में खेतमजदूरों के लिए 'समुचित' कानून का सवाल उठाया, लेकिन साथ ही न्यूनतम वेतन कानून, समान वेतन कानून, दूसरे राज्यों से आए मजदूरों से संबंधित कानून, बंधुआ मजदूरी समाप्ति कानून आदि का हवाला देकर राज्य सरकारों से अपील की कि इन कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "मुझे मालूम है कि इस सिलसिले में केन्द्रीय कानून पर आम राय नहीं है, लेकिन मैं उन राज्यों से अपील करता हूं, जिनमें ऐसे कानून नहीं हैं, कि गम्भीरता से इस सिलसिले में समुचित कानून बनाने पर विचार करें," दोनों नेताओं के भाषण उसी सुर में थे, जैसे कांग्रेसियों के होते थे और अपनी बला राज्यों के सिर पर ही डालने की कोशिश की जा रही थी।

केंद्रीय कानून की मांग

सेमिनार के प्लेनरी सेशन को सम्बोधित करते हुए धनी किसानों के नेता शरद जोशी ने पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार की निंदा की, जो किसानों और गरीब खेतमजदूरों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती रही, लेकिन उनके लिए केन्द्रीय कानून का हमेशा विरोध करती रही। उन्होंने वर्तमान कानूनों को राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाने की जरूरत पर जोर दिया, जो उनके अनुसार खेतमजदूरों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। बहरहाल, जनता दल के जसबीर सिंह ने केन्द्रीय कानून की मांग की। महिला और शिशु विकास केन्द्र की मीरा सेठ ने केन्द्रीय कानून के पक्ष में अपनी राय प्रकट की और महिला खेतमजदूरों को पुरुषों के बराबर वेतन देने की मांग की।

सेमिनार को सम्बोधित करते हुए पी.के. गांगुली ने कांग्रेसी सरकारों की नीतियों की निंदा की, जिनके चलते खेत मजदूर बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सरकारें हमेशा भूस्वामी तबकों और देहाती निहित स्वार्थों के सामने झुकती रहीं। देहाती मजदूरों का आधा हिस्सा, जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से सम्बन्धित है, भूमि सुधारों की कमी, हदबन्दी कानूनों के चोर दरवाजों और सामाजिक उत्पीड़न का शिकार रहा है। कांग्रेसी सरकार के सारे वादों के बावजूद भूमिहीन खेतमजदूरों की तदाद लगातार बढ़ती गयी है। 1951 की जनगणना के अनुसार, खेतमजदूरों की जो संख्या 2 करोड़ 75 लाख थी, वह 1981 में बढ़कर 5 करोड़ 56 लाख हो गयी। यदि सीमांत मजदूरों और 0.5 हैक्टेयर से कम जमीनवाले गरीब किसानों को भी, जो कि मजदूरी पर काम करते हैं, इसमें जोड़ लिया जाय, तो यह संख्या 11 करोड़ 50 लाख हो जायगी। चूंकि भूस्वामी तबके सत्ता में शामिल होते हैं, इसलिए खेतमजदूरों के विशाल तबके के नंगे दमन ने संस्थागत रूप ले लिया है। उन्हें, भूस्वामियों की हथियारबन्द सेनाओं और राज्य मशीनरी तथा देहाती निहित स्वार्थों की मदद से दयनीय हालात में काम करने तथा जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया था।

देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी 7 करोड़ के ऊपर पहुंच गयी है। रोजगार के एक साल में औसत कार्य दिवस केवल 120 दिन हैं और ये भी सिंचित भूमि के घटते जाने के साथ घट रहे हैं। कोई गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक भी उनकी आय गरीबी की रेखा से बहुत नीचे है। उनकी मजदूरी, उन्हें एक वक्त की रोटी तक नहीं दे पाती, क्योंकि उस मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा महाजनों के कर्ज की अदायगी में निकल जाता है, जोकि अधिकतर खेतमजदूरों को संस्थागत ऋण न मिलने की वजह से महाजनों के फंदे में फंस जाने का परिणाम है। सामाजिक सुरक्षा के उपाय और श्रम कानून, बहुत दूर की बातें हैं।

पी. के. गांगुली ने वास्तविक भूमि सुधारों, हदबन्दी कानूनों के चोर दरवाजे बन्द करने और हदबन्दी से फालतू जमीन को भूमिहीन खेतमजदूरों में वितरित करने की जरूरत पर जोर दिया। केन्द्रीय कानून की जरूरत के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब तक के अनुभव ने उन कानूनों की निरर्थकता सिद्ध कर दी है, जिनके बारे में सरकार यह कह रही है कि वे खेतमजदूरों के लिए भी लागू किये जा सकते हैं। मजबूत भूस्वामी लाबी की वजह से कांग्रेसी सरकार केंद्रीय कानून बनाने से हमेशा इनकार करती रही। खेतमजदूरों की विशेष स्थितियों को देखते हुए उनके लिए व्यापक केंद्रीय कानून बनाना फौरी जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से मांग की कि अतीत की भूस्वामीपरस्त परम्परा से अलग हटकर संसद के मौजूदा बजट सत्र में खेतमजदूरों के लिए केंद्रीय कानून सम्बन्धी बिल पेश करे।

आम राय केंद्रीय कानून के पक्ष में

जिन अन्य लोगों ने केन्द्रीय कानून बनाये जाने की मांग का समर्थन किया, उनमें खेतमजदूर यूनियन के महासचिव तथा सी. पी. आइ. (एम) सांसद पी. के. कुंजच्चन, सी. पी. आइ. के खेतमजदूर संगठन के नेता पी. के. कोडियन, सी. पी. आइ. (एम) सांसद सुनील बासुराय, सी. पी. आइ. सांसद गुरुदास दासगुप्त, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के जी. एस. भाटिया, जसवंत सिंह चौहान, डी. वाई. रेड्डी, प्रीतिश चंदा (यू.टी.यू.सी-एल.एस.) एन. एम. बारोट (एन. एल. ओ.) ओ. पी. वर्मा (एन. एफ. आई. टी. यू.) पी. डी. पालीवाल (टी. यू. सी. सी.) और असम राजस्व बोर्ड के चेयरमैन डा० डी. पाइस आदि शामिल हैं। केवल शरद जोशी तथा स्वामी अग्निवेश ने ही केन्द्रीय कानून बनाने का विरोध किया और सेमिनार में ये दोनों पूरी तरह अलग-थलग पड़ गये।

इसके बाद सेमिनार दो कमीशनों में बंट गया। एक कमीशन में केंद्रीय कानून और खेतमजदूरों के संगठन के सवाल पर और दूसरे कमीशन में भूमि सुधारों और रोजगार पैदा करने के सवाल पर विचार-विमर्श हुआ।

केन्द्रीय कानून संबंधी कमीशन की अध्यक्षता श्रम मंत्री ने की और विचार-विमर्श में पी. के. गांगुली, पी. के. कुंजच्चन, पी. के. कोडियन, गुरुदास दासगुप्त, सुनील बसुराय, डा० डी. पाइस और दूसरे अनेक लोगों ने भाग लिया। इस विचार-विमर्श में एक व्यापक केंद्रीय कानून के पक्ष में आम राय थी। खेत मजदूरों की समस्याओं पर विचार के लिए संसद की तत्कालीन परामर्श समिति द्वारा गठित गुरुदास दासगुप्त कमेटी की रिपोर्ट और देहाती असंगठित श्रम से संबंधित केंद्रीय स्टैंडिंग कमेटी द्वारा 1980 में तैयार किये गए बिल के आधार पर कानून के ढांचे पर विचार किया गया। बहरहाल, इनमें भी अनेक संशोधन सुझाये गये। पी. के. गांगुली ने न्यूनतम वेतन तय करने का सवाल उठाया। तभी शरद जोशी और स्वामी अग्निवेश ने वेतन देने की क्षमता का सवाल उठा दिया। बहरहाल, इस बार भी ये दोनों जबर्दस्त बहुमत के सामने अलग-थलग पड़ गये, क्योंकि मजदूर और सर्वोच्च न्यायालय पहले ही क्षमता के सवाल को ठुकरा चुके हैं।

कमीशन का निष्कर्ष यह था कि एक ऐसा केन्द्रीय कानून बनाया जाय, जिसमें खेतमजदूरों की भोजन, ईंधन, कपड़ों और मकान आदि की जरूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जाय। विवादों को सुलझाने, काम की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और दुर्घटना लाभों, समान वेतन, बुढ़ापा पेंशन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण आदि मुद्दों को कानून के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। कमशन ने कानून को लागू करने वाली मशीनरी तथा राज्य मशीनरियों पर भी विचार-विमर्श किया। कमीशन की यह राय थी कि कानून के प्रावधानों को लागू करने लिए इन मशीनरियों को दुरुस्त किया जाय। जिन राज्यों में पंचायतें देहाती निहित स्वार्थों से मुक्त हैं, वहां पंचायतों के जरिये इस कानून को लागू किया जा सकता है। कमीशन ने खेतमजदूरों के संगठन के बारे में भी विचार-विमर्श किया और संगठन की स्वतंत्रता के साथ खेतमजदूरों के अलग संगठन बनाने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की।

रोजगार का सवाल

दूसरे कमीशन की अध्यक्षता, योजना आयोग के सदस्य एल. सी. जैन ने की। कमीशन ने भूमि सुधारों और भूमि को संपत्ति के बजाय सामूहिक जीवन-यापन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने, भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं को लागू करने के लिए कानूनों को समयबद्ध तरीके से लागू करके, निहित स्वार्थों के खिलाफ जबर्दस्त संघर्ष चलाने, कृषि पैदावार बढ़ाने, मालिकाना बगैर बटाईदार हकों के सही रिकार्डों को तैयार करने, हदबंदी से फालतू जमीन को वितरित करने, फालतू जमीनों की निशानदेही के लिए संवैधानिक कृषि समिति का गठन करने, भूमिहीन मजदूरों को आवासीय जमीन देने, वन लगाने, ग्राम पंचायतों को निहित स्वार्थों से मुक्त करने और रोजगार पैदा करने की महाराष्ट्र योजना समेत रोजगार पैदा करने के अल्पावधि और दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार करने संबंधी सिफारिशें कीं।

सेमिनार के अंतिम प्लेनरी सत्र में दोनों कमीशनों की रिपोर्टें पढ़कर सुनायी गयीं। इन रिपोर्टों पर सेमिनार में भाग ले रहे दूसरे लोगों ने भी अनेक सुझाव दिए। रोजगार पैदा करने के सवाल पर हुए विचार-विमर्श में हस्तक्षेप करते हुए पी. के. गांगुली ने हदबंदी कानून के चोर दरवाजों को बंद करने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने, बाढ़ नियंत्रण, लघु तथा कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने और गोदामों, कोल्ड स्टोरेजों, वेयर हाउसों और मार्केटिंग केन्द्रों का जाल बिछाने की जरूरत पर जोर दिया।

श्रम मंत्री के इस आश्वासन के साथ कि प्रस्तावित केन्द्रीय कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जायगा, सेमिनार संपन्न हुआ।

बहरहाल, हालांकि सेमिनार में एक व्यापक केन्द्रीय कानून के पक्ष में आम राय उभरकर सामने आयी, लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने भी राज्यों के बीच असहमति का मुद्दा उठाया है। और, इससे आश्चर्यजनक बात यह है कि धनी किसानों के नेता शरद जोशी को जिसने खुले आम खेतमजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाये जाने का विरोध किया, सरकार की नयी कृषि नीति तैयार करनेवाली कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। खेतमजदूरों को, जिन्हें कि ट्रेड यूनियनों का समर्थन प्राप्त है, केन्द्रीय कानून की अपनी मांग मनवाने के लिए संघर्ष जारी रखना होगा।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने विमान परिचारिकाओं के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने का आश्वासन दिया

इंडियन एयर लाइंस केबिन क्रू और एयर इंडिया हॉस्टेसेज एसोसिएशन की समन्वय समिति ने, सांसद श्री दीपेन घोष, सीटू सचिव एम. के. पंधे, ए. सी. ई. यू. (इंडियन एयर लाइंस, बम्बई क्षेत्र) सचिव रामनाथन और एयर इंडिया बम्बई क्षेत्र के ए. सी. ई. यू. सचिव श्री हेमन्त कुमार के साथ 20 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। दोनों राष्ट्रीय विमान वाहक कम्पनियों द्वारा सरकार के निदशों का संतोषप्रद अनुपालन न करने, स्वास्थ्य, विवाह और 45 वर्ष की आयु सीमा आदि को लेकर एयर होस्टेसों के विक्टिमाइजेशन आदि के मुद्दे पर एक ज्ञापन दिया गया।

एयर इंडिया की वरिष्ठतम जापानी परिचारिका सुश्री मोचीजुकी 45 वर्ष की आयुसीमा पार करने के बाद 5 महीने तक काम पर रहने के बाद 5 मार्च, 1990 को हटा दी गईं। बहाना यह दिया गया कि एयर इंडिया 45 वर्ष की आयु के बाद परिचारिकाओं को सेवा की अनुमति नहीं देती। मोचीजुकी ने 20 मार्च 1990 को एयर इंडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया चूंकि एयर इंडिया ने टोक्यो जिला कोर्ट को आश्वासन दिया था कि उन्हें 58 वर्ष तक सेवा की अनुमति है। इससे भारत सरकार एवं एयर इंडिया के प्रति कुप्रचार फैला है।

मीटिंग में मंत्री जी ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि नई सरकार ने अपना रुख बदला नहीं है और सभी तरह के भेदभाव और विक्टिमाइजेशन समाप्त किए जाएंगे। उन्होंने गर्भवती परिचारिकाओं को गर्भकाल में वेतन दिये जाने की भी सहमति दी। गर्भवती परिचारिकाएं अवैतनिक छुट्टी पर थीं।

मंत्री महोदय ने समन्वय समिति को बार-बार स्पष्ट आश्वासन दिया है कि पुरुष और महिला हवाई कर्मचारियों के बीच भेदभाव समाप्त किया जाएगा और दोनों विमान सेवाओं को कुछ दिनों के अन्दर ही निर्देश भेज दिए जाएंगे।

नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त सचिव श्री आर० गुप्ता, और एयर इंडिया के एम. डी. श्री राजन जेटली भी बातचीत के वक्त उपस्थित थे। श्री जेटली ने आश्वासन दिया कि 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति सीमा तथा परिचारिकाओं पर विवाह की पाबन्दी को हटाने के लिए अविलम्ब सूचनाएं जारी की जाएंगी। उन्होंने गर्भवती परिचारिकाओं को वेतन देने की मांग भी सिद्धान्त-तौर पर स्वीकार कर ली है, तथा इसके व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करने को कहा है। श्री आरिफ मोहम्मद खान ने श्री जेटली से अमान्यता प्राप्त यूनियनों से भी उनकी समस्याओं पर बातचीत करने के लिए कहा।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स की 15 परिचारिकाओं ने सभा में भाग लिया।

ज० म० स०, कुरुक्षेत्र ने महिला दिवस मनाया

जनवादी महिला समिति की कुरुक्षेत्र जिला इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को हाउसिंग बोर्ड कालोनी में एक सभा का आयोजन किया। सभा में सकल्प लिया गया कि जब तक समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता; दहेज तथा सत्ती जैसी कुप्रथाएं खत्म नहीं हो जातीं; गुंडागर्दी और आर्थिक, सामाजिक तथा शारीरिक शोषण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक महिलाओं का संघर्ष जारी रहेगा।

कमलेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस सभा में सबसे पहले मेहम और बिहार में चुनावी हिंसा में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

सभा में रूचि और अनुज नामक दो बच्चों ने महिलाओं की विडंबनापूर्ण स्थिति को उद्घाटित करने वाली कविता सुनायी। सुनीता ने अपने स्वागत भाषण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास पर प्रकाश डाला।

हरियाणा राज्य जनवादी महिला समिति की सांगठनिक कमेटी की संयोजक, यशोदा सभा की मुख्य वक्ता थीं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को संगठित करके ही शोषणविहीन समाज की स्थापना की जा सकती है। उनके अलावा, सभा को स्वर्ण कौर, शीला, सुमित्रा देवी, अमरीक कौर, उषा ठाकुर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छात्र नेता शकुंतला डागर ने भी संबोधित किया।

काम पर अधिक महिलाएं पर मजदूरी कम : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

विश्व के अधिकांश हिस्सों में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा कामकाजी पुरुषों को विस्थापित कर रही हैं, पर इसमें उन लोगों के लिए खुशी की ज्यादा बात नहीं, जो महिलाओं के लिए समान अवसरों के लिए अभियान कर रहे हैं।

अधिकांश महिलाएं बड़े ही "नाजुक निम्न वेतन के काम" में फंसी हैं क्योंकि "विश्व स्तर पर नियमित, पूरे समय के काम, निश्चित मजदूरी तथा अन्य विभिन्न लाभों पर विश्वास कम होते जाने की प्रवृति दीख पड़ती है" —अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक हाल के अध्ययन का मंतव्य है।

हलांकि श्रम-शक्ति का महिलाकरण बड़ी तेजी से एक सच्चाई बन रहा है, अध्ययन के अनुसार महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कोई तुलनात्मक सुधार नहीं हो रहा।

अध्ययन का मानना है कि महिलाएं—जो अपने परिवारों पर निर्भर हैं, और जो परिस्थितिवश अकेले रहने को बाध्य हैं, या जिन पर घर के खर्चे उठाने की जिम्मेदारी है, सबसे बुरी स्थिति में हैं।

कलकत्ता में, अध्ययन के अनुसार, घर जितना गरीब हुआ, उतना ही अधिक संभावना भी है कि वह महिला अर्जकों पर पूरी तरह या अधिकांशतः निर्भर हो।

और पूरे विश्व में विधवाओं, प्रवासी महिलाओं तथा पतिहीन मांओं—जो अपने संसाधनों पर निर्भर हैं—की मिला-जुलाकर यही स्थिति है तथा इस तरह उन्हें श्रम औसतीकरण तथा शोषण का शिकार होना पड़ रहा है।

अध्ययन का कहना है कि बहुधा अच्छे वेतन पानेवाले मजदूरों के पुरुष बहुल क्षेत्र को महिलाएं विस्थापित कर रही हैं—लेकिन ऐसा "महिला बहुल लचीले श्रम के प्रकारों" द्वारा हो रहा है।

विकसित और अविकसित दोनों देशों के सभी उद्योगों एवं सभी अर्थव्यवस्थाओं में महिला मजदूरिनें निरन्तर पुरुषों की जगह ले रही हैं। लेकिन 1980 के दशक की प्रवृत्ति इसके पहले के वर्षों से 'गम्भीर तौर पर अलग' थी।

1970 के दशक में महिला एवं पुरुष बेरोजगारी में वृद्धि हुई, पर महिला बेरोजगारी अधिकांश देशों में पुरुष बेरोजगारी की तुलना में तेज बढ़ी। परन्तु, 1980 के दशक में महिला का रोजगार बढ़ा जबकि पुरुष रोजगार के घटने की प्रवृत्ति देखी गई।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अर्थशास्त्री गॉय स्टैंडिग के अध्ययन अनुसार, 70 प्रतिशत विकासशील देशों में जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। पिछले दशक में रोजगार में महिलाओं की शिरकत बढ़ी है जो कई पहलुओं में काफी तेज है।

"किसी भी देश ने अपना औद्योगीकरण या अपनी विकास नीति विस्तृत महिला श्रम पर निर्भर किए बिना तय नहीं किया है। और कई उद्योगशील देशों के निर्यात तैयारी क्षेत्रों में, आमतौर पर महिलाएं कुल मजदूरों की तीन चौथाई हैं"—अध्ययन कहता है।

अध्ययन के अनुसार, यह एक दीर्घ कालीन प्रवृत्ति है।

जहां कुछ अर्थशास्त्री उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण तक महिलाओं की पहुंच या भेदभाव विरोधी कानून को इसकी वजह बताते हैं, गॉय स्टैंडिग का मानना है कि इसके पीछे कम वेतन दर पर ज्यादा "छांटने लायक" (या लचीला) श्रम को लगाने की मंशा है।

गॉय स्टैंडिग का कहना है कि तकनीकी एवं सांगठनिक परिवर्तनों की वजह से काम का ध्रुवीकरण हो रहा है—जिसके तहत, तकनीकज्ञों एवं विशेषकों का एक छोटा अभिजन वर्ग, अर्द्धकुशल मजदूरों की विशाल सेना तथा तकनीकी तौर पर अकुशल मजदूरों की कम होती संख्या के साथ जी रहा है।

[शेष पृष्ठ 19 पर]

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।